"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2008—कार्तिक 2, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को दिनांक 26-08-2008 से 27-08-2008 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/10/2008/1/2.—श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, जिला उ. ब., कांकेर को दिनांक 12-6-2008 से 13-06-2008 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 जून, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री अब्दुलहक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अब्दुलहक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/11/2008/1/2.—श्री बसवराजू एस., भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को दिनांक 12-06-2008 से 13-06-2008 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 जून, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री बसवराजू एस. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसवराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/12/2008/1/2.—सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो, भा. प्र. से., उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 11-8-2008 से 14-08-2008 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 09, 10, 15, 16 एवं 17 अगस्त, 2008 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री टोप्पो आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/34/2004/1/2.—डॉ. दुर्गेश मिश्रा, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 08-10-2008 से 10-10-2008 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07, 11 एवं 12 अक्टूबर, 2008 के स्थानीय/शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मिश्रा आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, उप-सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ. 4-95/2005/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 430 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 442 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 427 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन बनाई गई नगर पालिक निगम, रायपुर अधिकारी तथा सेवक (पेंशन तथा उपादान) उपविधियां 1974 में निम्नलिखित संशोधनों की पुष्टि करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 429 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है तथा अब उन्हें धारा 431 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त उप विधियों में:—

उप विधि 3 के खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जावे अर्थात् :—

"परंतु नगर पालिक निगम, रायपुर में कार्यरत स्वीपरों/सफाई कामगारों को सामान्य सभा द्वारा पारित संकल्प क्रमांक (1) दिनांक 09-06-2004 के पालन में अंशदायी भविष्य निधि योजना से सामान्य भविष्य निधि योजना (पेंशन योजना) में सम्मिलित माना जायेगा."

No. F. 4-95/2005/18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 430 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government hereby ratifies the following amendment in the Municipal Corporation, Raipur officers and servants (Pension and Gratuity) By-laws, 1974 framed by the Minicipal Corporation, Raipur under clause (c) of sub-section (1) of Section 427 read with clause (c) of sub-section (1) of

Section 429 of the said Act and they are now published as required by section 431 thereof, namely :—

AMENDMENT

In the said By-laws :—

After clause (1) of By-laws 3, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in compliance of the resolution No. (1) dated 09-06-2004 passed by the General Body, the sweepers/sanitary workers, working in Raipur Municipal Corporation shall be deemed to be included in the General Provident Fund Scheme (Pension Scheme) from the Contributory Provident Fund Scheme."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 8-1/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी., कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3748 को दिनांक 08-09-2008 से 30-09-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3555 को दिनांक 20-10-2008 से 10-11-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान किया गया था, को निरस्त कर बॉयलर क्र.-एम. पी./3657 को दिनांक 11-08-2008 से 10-11-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से

छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक; वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 1-1/2008/11/(6).—इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 16-07-2008 के सरल क्र.-4 पर निरीक्षक वाष्पयंत्र के वेतनमान रु. 8000-13200 के स्थान पर 8000-13500 पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

क्रमांक/5209/मुमनि/107/2005/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सोयाबीन उत्पाद हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4477/सीएमनि/107/2005/14-2 रायपुर, दिनांक 24-12-2005 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय राज्य के भीतर कृषकों द्वारा उत्पादित और मंडी में लाये जाने वाली अधिसूचित कृषि उपज सोयाबीन, मक्का एवं सूरजमुखी के मूल्य की प्रति सौ रुपये पर एक रुपया मंडी शुल्क की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिसम्बर, 2010 तक के लिए नियत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

क्रमांक/5209/मुमनि/107/2005/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5209 मुमनि/107/2005/14-2, दिनांक 6-10-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 6th October 2008

No. 5209/CMN/107/2005/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), supersession in this department notification No. 4477/CMN/107/2005/14-2 Raipur, dated 24-12-2005 for Soyabean produced the State Government, hereby reduce market fees leviable under section 19 of the Act at the rate of Rupee one on per hundred Rupees price for the period of December, 2010 from the date of notification on notified agriculture produce Soyabean, Maize and Sunflower produced and brought in market yard, by farmers, within the state.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secrerary.

कृषि (मछलीपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2008

क्रमांक 713/एफ 7-5/36/अन्य/2008.—श्रीमती बिलासा बाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार के संबंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक 276/एफ/13-2/36/पुरस्कार/04, दिनांक 26-5-2004 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किए जाते हैं :—

चयन की पात्रता हेतु निर्धारित बिंदुओं के स्थान पर निम्नानुसार चयन पात्रता एवं अंक निर्धारित किए जाते हैं.

क्र. (1)	मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन (2)	प्रस्तावित विवरण (3)	अंक (4)
1.1.	स्पॉन (लाख में)	1000 लाख से कम	0 अंक
		1000 लाख पर	15 अंक
		प्रत्येक 100 लाख पर	1 अंक
		2000 लाख या अधिक पर	अधिकतम 25 अंक
1.2	स्टैंडर्ड फ्राई (लाख में)	100 लाख से कम	0 अंक
		100 लाख पर	15 अंक
		प्रत्येक 5 लाख पर	1 अंक
		150 लाख या अधिक पर	अधिकतम 25 अंक

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	मत्स्योत्पादन (न्यूनतम 3000 कि. ग्रा./हे.)	3000 कि. ग्रा. से कम	0 अंक
		3000 कि. ग्रा. पर	15 अंक
		प्रत्येक 1000 कि. ग्रा. पर	2 अंक
		8000 कि. ग्रा. या अधिक पर	अधिकतम 25 अंक
3.	समन्वित मछली पालन	100 बतख से कम	0 अंक
3.1	बतख सह मछली पालन एवं मुर्गी सह मछली पालन.	100 बतख पर	7.5 अंक
		प्रत्येक 50 बतख पर	1 अंक
		350 बतख या अधिक पर	अधिकतम 12.5 अंक
		200 मुर्गी से कम	0 अंक
		200 मुर्गी पर	7.5 अंक
		प्रत्येक 50 मुर्गी पर	1 अंक
		350 मुर्गी या अधिक पर	अधिकतम 12.5 अंक
	बतख सह मछली पालन एवं मुर्गी सह मछली पालन.	योग	25 अंक
3.2	सूकर सह मछली पालन	2 सूकर ट्रई से कम	0 अंक
		2 सूकर ट्रई पर	10 अंक
		प्रत्येक सूकर ट्रई पर	1.25 अंक
		6 सूकर ट्रई या अधिक पर	अधिकतम 15 अंक
3.3	डेयरी सह मछली पालन	5 दुधारू पशु से कम	0 अंक
		5 दुधारू पशु पर	10 अंक
		प्रत्येक दुधारू पशु पर	1 अंक
		10 दुधारू पशु या अधिक पर	अधिकतम 15 अंक
4.	मत्स्य पालन हेतु अतिरिक्त जलक्षेत्र का विकास.	नवीन तालाब निर्माण प्रत्येक हे. निर्माण पर.	2 अंक
		5.00 हे. निर्माण या अधिक पर	अधिकतम 10 अंक
5.	विलुप्त होने वाले मछलियों के प्रजातियों का संरक्षण.	1 प्रजाति का संरक्षण पर	2 अंक
		5 प्रजाति का संरक्षण पर	10 अंक
6.	मछलियों के बीमारियों के रोकथाम हेतु किये गये अनुसंधान कार्य.		5 अंक
7.	मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान कार्यों पर.		25 अंक

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु नवीन पद्धतियों का उपयोग.		20 अंक
	कुल		**200 अंक**

शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/एफ-1-15/07/स्था/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
(क) "सेवा के संबंध" में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ ;
(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग" ;
(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगी परीक्षा ;
(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;
(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;
(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;
(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;
(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;
(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;
(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा ;
(ठ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति, विभागीय पदोन्नति समिति।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—
(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण करते हों,
(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों,
(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** – सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ।

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर समय–समय पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका** :– (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन से सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) अनुसूची दो एवं तीन में यथाविनिर्दिष्ट सेवा में नियुक्त सदस्यों के पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों, धारण करते हों ।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या (अनुसूची – एक में यथाविनिर्दिष्ट) कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी ।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न, ऐसे तरीके अपना सकेगी, जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किए जाए ।

(5) सेवा में भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश भी लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति** – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जायेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें** – चयन हेतु परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी , अर्थात् :–

(1) **आयु** :– (क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी नही की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम् 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सीधी भर्ती के समस्त कर्तव्य पदों पर उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, परन्तु विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष अतिरिक्त छुट दी जायेगी ।

नोट :– किसी भी अभ्यर्थी को, जिन्हें एक आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट दिया जाता है, उन्हें तथापि शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए

(ग) उन अभ्यर्थियों के सबध म जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :–

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यही रियायत कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी ।

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अस्थाई सरकारी सेवा में कम से कम छह माह तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो ।

(तीन) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या

स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया था :–

(1) ऐसा "भूतपूर्व सैनिक" जिसे सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ;

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हों और जिन्हे –

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर ;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के "भूतपूर्व सैनिक" ;

(4) ऐसे अधिकारी, जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो ;

(5) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक", जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ;

(6) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहें ;

(7) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक", जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण, चिकित्सीय आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो।

(8) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं ।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु–सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति–पत्नी के उच्चतर जाति के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार", "गुंडाधूर सम्मान", "महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव" सम्मान धारक अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा सम्मान धारकों के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियो के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम् 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के

अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय की जाएगी, किन्तु ऐसे मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी – ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त उपनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे । किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों को लागू माना जायेगा ।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं**–अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में दर्शाये गये सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए ।

(3) **फीस** – अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा।

9. **निरर्हता** – अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा/चयन के लिये निरर्हता माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा** –

परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नही किया है, परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** – (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें ।

(2) आयोग द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुसार परीक्षा संचालित किया जायेगा, जो राज्य सरकार समय समय पर आयोग के परामर्श से जारी करें ।

(3) चयन द्वारा सीधी भर्ती – (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से की जायेगी जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें ।

(2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा किया जायेगा ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें उनके नाम नियम—12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों, को जिन्हें प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये चयनित किया गया हो, नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

(6) (1) यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों हेतु , उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो शेष रिक्तियों को पुनः विज्ञापित की जायेगी । यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् शेष पद नहीं भरे गये है तो उन रिक्तियों को सामान्य अभ्यर्थियों के बीच से भरा जायेगा तथा पश्चातवर्ती चयन के दौरान अतिरिक्त रिक्तियों की संख्या के समतुल्य, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जाएगा ।

परंतु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (रिक्तियों को अग्रणित करते हुए (कैरी फारवर्ड) सम्मिलित है) विज्ञापित कुल रिक्तियों के पैतालिस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(2) **प्रतियोगी परीक्षा के लिए**— यदि अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों, उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो शेष रिक्तियों को अन्य अभ्यर्थियों के बीच से भरा जा सकेगा तथा पश्चात्वर्ती चयन में अतिरिक्त रिक्तियों की संख्या के समतुल्य, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखा जायेगा ।

परंतु इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए (रिक्तियों को अग्रगणित करते हुए सम्मिलित है) कुल विज्ञापित रिक्तियों के पैतालिस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नही होगी ।

(7) सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी ।

(8) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** :— (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से की जायेगी जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से समय—समय पर अवधारित करे । (2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, उनके साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा किया जाएगा ।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची** : – (1) आयोग उन अभ्यर्थियों की, योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा कि आयोग अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुये, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, सरकार को अग्रेषित करेगा । सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित भी की जाएगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हो ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक प्रदान नहीं करता जब तक कि सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** – (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे ।

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तराल से अपनी बैठक करेगी ।

(3) ऐसे पदों हेतु पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के ऐसे अधिकारियों के लिये आरक्षित रहेगी जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्र हो ।

(4) पदोन्नति किये जाने हेतु प्रक्रिया में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रिक्तियां आरक्षित की जायेगी ।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए पात्रता की शर्तें** – (1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर जिससे पदोन्नति की जानी है के पदों पर, (स्थानापन्न या मौलिक रूप से) उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किये गये किसी अन्य पद या पदों पर, जो अनुसूची चार के कालम (3) में उल्लेखित हो तथा उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों ।

परंतु सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् अर्द्ध सेवा आयोग तथा आपात् आयोग के मुक्त अधिकारियों की सेवा उस दिनांक से गणना की जाएगी जिससे वे सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 2266–1987–I (8)–67, दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्ति किये गये है ।

परंतु और यह कि कनिष्ठ व्यक्ति इस नियम के अधीन सेवा की विहित कालावधि पूर्ण करने के आधार पर उसे वरिष्ठ व्यक्ति से श्रेणी/पदोन्नति चयन हेतु प्राथमिकता देने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(2) चयन के लिए विचारण क्षेत्र को सामान्यतः चयन सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में अधिकारियों की संख्या सात गुणा तथा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या पांच गुणा तक सीमित होगी ।

परंतु यदि इस प्रकार अवधारित विचारण क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो, तो विचारण क्षेत्र उस सीमा तक विस्तारित किया जा सकेगा जैसा कि समिति द्वारा उसके लिए लिखित में कारण उल्लिखित करते हुए आवश्यक समझे ।

15. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना** – (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझे गये हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी। उपरोक्त कालावधि के दौरान उदभूत होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों की पूर्ति के लिए आरक्षित सूची तैयार की जायेगी जिसमें उक्त सूची में व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्ति होंगे ।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने हेतु चयन, समस्त मामलों में वरिष्ठता का समुचित ध्यान रखते हुए योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी ।

(3) प्रत्येक चयन सूची के तैयारी के समय सूची में सम्मिलित अधिकारियों का नाम, अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट, सेवा या पदों में वरिष्ठता व क्रम में रखे जायेंगे ।

परंतु किसी कनिष्ठ अधिकारी जो समिति की राय में, असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों से सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा ।

<u>स्पष्टीकरण</u> – कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया है , केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य के आधार पर पश्चात्वर्ती चयन में उस पर विचार किया गया था, वरिष्ठता का दावा नही करेगा ।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा ।

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि राज्य अधिनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाये, तो समिति प्रस्तावित अवक्रमण के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. **चयन सूची** :–

(1) उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार किए गए अनुसार, अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदो से, अनुसूची चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सदस्यों की पदोन्नति हेतु चयन सूची होगी ।

(2) चयन सूची सामान्यतः उस समय तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि यह नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसे पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित नहीं किया जाता, किन्तु इसकी विधि मान्यता इसको तैयार किए जाने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के उपरांत बढ़ाई नहीं जायेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण में या कर्तव्यों के अनुपालन में कोई गंभीर चूक होने की स्थिति में सरकार के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि विभागीय पदोन्नति समिति उचित समझे, तो चयन–सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति : –** (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आए हो :

परंतु जहां प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुये ऐसा करना अपेक्षित हो वहां किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है तथा जिसका नाम चयन सूची के आगामी क्रम में भी नहीं है सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि रिक्तियां अंतिम तीन मास से अधिक के लिये संभाव्य नहीं है ।

(2) साधरणतः उस व्यक्ति की जिसकी नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तक प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी है जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त बनाती है ।

18. **परिवीक्षा –** सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा।

19. **निर्वचन –** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण –** इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे ये नियम लागू होते हों, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हों, कार्यवाही करने की शक्ति को, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

(क) **व्यावृत्ति –** इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधानित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी ।

21. **निरसन और व्यावृत्ति –** (क) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा, निरसित किये जाते हैं, ;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गयी कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजयेन्द्र, सचिव.

अनुसूची – एक
(नियम 6 देखिये)

वर्गीकरण, सेवा में वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रूपये
(1)	(2)	(3)	(4)
सिस्टम एनालिस्ट	1	राजपत्रित I	10000–15200
प्रोग्रामर	4	राजपत्रित II	8000–275–13500

अनुसूची – दो
(नियम 6 देखिये)
भर्ती का प्रक्रिया

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	
				सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	सिस्टम एनालिस्ट	1	100 %	–
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	प्रोग्रामर	4	100 %	–

अनुसूची – तीन
(नियम–6 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	प्रोग्रामर	21	35 वर्ष	1. (क) बैचलर ऑफ इंजीनियरींग / बैचलर ऑफ टेक्नोलाजी / बैचलर ऑफ साईस (इंजीनियरींग) प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) सहित. अथवा (ख) मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन / मास्टर इन कम्प्यूटर मैनेजमेंट / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर / (भौतिकशास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / कंप्यूटर साइंस) में मास्टर ऑफ साइंस / [illegible] प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणा (ग्रेड) सहित. अथवा (ग) बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन / बैचलर ऑफ कम्प्यूटर मैनेजमेंट / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक / (भौतिकशास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / कंप्यूटर साइंस) में बैचलर ऑफ साइंस / बैचलर ऑफ आर्ट एवं कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सहित । स्नातक डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी सहित होना चाहिए ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	सिस्टम एनालिस्ट	21	35 वर्ष	**1**. (क) बैचलर ऑफ इंजीनियरींग / बैचलर ऑफ टेक्नोलाजी / बैचलर ऑफ साईंस (इंजीनियरींग) प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) सहित. अथवा (ख) मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन / मास्टर इन कम्प्यूटर मैनेजमेंट / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर / (भौतिकशास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / कंप्यूटर साइंस) में मास्टर ऑफ साइंस / मास्टर ऑफ आर्ट प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) सहित. अथवा (ग) बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन / बैचलर ऑफ कम्प्यूटर मैनेजमेंट / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक / (भौतिकशास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / कंप्यूटर साइंस) में बैचलर ऑफ साइंस / बैचलर ऑफ आर्ट एवं कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सहित । स्नातक डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी सहित होना चाहिए ।

अनुसूची – चार
(नियम –14 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	अनुभव	उस पद का नाम, जिस पद पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	सहायक प्रोग्रामर	संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन सहायक प्रोग्रामर के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो.	प्रोग्रामर	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्देशित आयोग का कोई सदस्य–अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव / सचिव वित्त विभाग – सदस्य. 3. संचालक / अपर संचालक, कोष एवं लेखा – सदस्य 4. यदि उपर उल्लिखित समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो संचालक कोष एवं लेखा उपर उल्लिखित वर्गों के किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम निर्देशित करेगा – सदस्य
	प्रोग्रामर	संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन प्रोग्रामर के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो.	सिस्टम एनालिस्ट	

Raipur, the 13th October 2008

No./F-1-15/07/ESTT./IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service to the members of Chhattisgarh Treasuries Information Technology (Gazetted) Service Recruitment Rules, namely :—

RULE

1. **Short title and commencement** : - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Treasuries Information Technology (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Definitions** :- In these rules, unless the context otherwise requires -
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director, Treasuries and Accounts, Chhattisgarh;
   (b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;.
   (c) "Examination" means the competitive examination for recruitment conducted under rule 11;
   (d) " Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (e) " Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (f) " Other Backward Classes " means the other backward classes of citizens as specified by the state government- vide notification No. F-XXV-4-84, dated 26 th December, 1984 as amended from time to time;
   (g). "Schedule" means Schedule appended to these rules;
   (h) "**Scheduled Caste**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;
   (i) "**Scheduled Tribe**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India;
   (j) " State" means the state of Chhattisgarh;
   (k) " Service" means the Chhattisgarh Treasurres Information Technology Services;
   (l) "Selection Committee" means the selection committee Departmental Promotion Committee constituted by Appointing Authority.

3. **Scope and Application :-** without prejudice to the generality of the provision contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of service) Rules 1961, these rules shall apply to every member of this service.

4. **Constitution of the service :-** The services shalll consist of the following persons, namely -

(1) Persons who at the commenecement of these rules are holding substantively the posts specified in schedule-I

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classifications, pay scales, etc :-** The Classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained Schedule-I

Provided that the Government may from time to time add or reduce to the number of posts included in the service either of permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment :-** (1) Recruitment to the service after, the commencement of these rules shall be made by the following methods namely :-

(a) By direct recruitment - by competitive examination/selection

(b) By promotion of the members appointed in the service as specified in Schedule-II and III;

(c) By transfer of persons who hold such services as such may be specified in this behalf

(2) The number of persons recruited under clause(b) or clause (c) of sub-rule(1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duty posts (as specified in Schedule I).

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method,shall be determined on each occassion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require,the Government may,after approval of the General Administration department, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule,as it may by order issued in this behalf,prescribe.

(5) At the time of recruitment,the provisions of Chhattisgarh Public Service (scheduled castes, scheduled tribes and other Backward classes

reservation) Act, 1994 and the amendment made in the Act by General Administration Department of Government from time to time, shall also be effective.

7. **Appointment to the service :-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of to complete eigibility for direct recruitments :-** In order to appear in the examination to be selected, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) **Age :-**

(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination / selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes,Scheduled Tribe or Other Backward Classes.

The upper age limit for female candidates shall also be relaxed upto 10 years on all duty post of direct recruitment but an additional relaxation of 5 years in general upper age limit shall be given to window destitute and divorced female candidates.

Note - For any candidate who is given relaxation by any one case or more than one cases they may however get entry in government service their age must not exceed the limit of 45 years.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates who are, or have been empolyees or the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A Candidate who is a permanent/ Temporary Government servant shall not be more than 38 years of age, This Concession shall also be admissible to the Work Charged Contigency paid employees.

(ii) A candidate who is retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years

Explanation - "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this state, or of any constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharted due to reduction in establishment not more than three years prior to the date or this registration at the Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(iii) A candidate, who is an ex-service, man shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provised that the age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before, the date of the registration at any empolyment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :-

(1) "Ex-Serviceman"released under mustering out concession;

(2) Such Ex-Serviceman enrolled for the second time, and discharged on -

   (a) Completion of short- term engagement;

   (b) Ful-filling the conditions of enrolment;

(3) "Ex-serviceman" of Madras civil unit;

(4) Officers discharged after working for more than six months continuesly agarinst leave vacancies ;

(5) "Ex-serviceman" invalidated out of service;

(6) "Ex-serviceman" discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(7) "Ex-serviceman" who are madically bonded out on account of gun shot wounds etc

(8) Officer (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular commissioned officers.

(d) The upper age limit shall be relaxable upto two years in respect of green card Holder candidates under the family welfare programe.

(e) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of an awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage incentive scheme of the the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other Backward Classes Welfare Department.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the "Shaheed Rajiv Pandey Award", "Gundadhur Samman", "Maharaja Praveer Chandra Bhanjdeo Samman", holder candidates and National Youth award holders.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State, Corporation / Boards.

(h) The upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and non commissioned officers of Home Gurards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub clause (i) and (ii) of clause (c) of sub rule (I) of this rule shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from the service either before or after taking the examination. Theh will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case these age limits shall be relaxed. Departmental candidates must obtain the previous permission of their appointing authorities to appear for the selection.

(i) Orders and directives, issued from time to time of General Administrative Department in respect to age shall be applicable.

(2) **Educational Qualification :-** The candidate must possess the educational qualification preseribed for the service as shown in schedule III,

(3) **Fees :-** The candidates shall pay the fees prescribed by the Commission.

9 **Disqualification :-** Any attempt on the part of a candidate to obtain as part for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for examination/selection.

10. **Commission's decision about the eligibility of the candidates shall be final :-** The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination / selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be appear to appear in the examination/interview.

11- **Direct recruitment by competitive Examination ;** (1) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission from time to time determine.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with the instructions issued by the Government in consultation with the Commission from time to time..

(3) **Direct recruitment by selection.- (1)** Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commisssion, from time to time , determine.

(2) The selection of the candidates for the service shall be made by the commission after interviewing them.

(3) There shall be reserved posts for the person belonging to the Scheduled Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Aarakkshan Adhiniyam,994(No.21 of 1994).

(4) In filling the vacancies so reserved, for candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, selected by the Commission for appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed on the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be, under rule (3).

(6) ***For selection by interview without competitive examination.*** - (1) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be readvertised twice exclusively for these candidates. If even after readvertisment, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be, during the subsequent selection:

Provided that the total number of vacancies so reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes(including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed forty five percent of the total vacancies advertised.

(2) For competitive examination. - If sufficient candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be filled from among the other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes,Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the subsequent examination :

Provided that the total number of vacancies so reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes(including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed forty five of the total vacancies advertised.

(7) At the stage of direct recruitment 30 percent post shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules,1997.

(8) **Direct recruitment by selection**:-(1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission from time to time, determine.

(2)The selection of the candidates fir the service shall be made by the Commission after interviewing them.

12- List of candidates recommended by the Commission :- (1)The Commission shall forward to the Government a list arranged in order or merit of the candidates, who may have qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes whom though not qualified by that standard,are yet declared by the Commission to be suitable for appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961,the candidates shall be considered for appointment on the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) Mere inclusion of a candidate's name in the list confers no right to him to appointment unless, the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that, the candidate is suitable in all respects for appointment in the Service.

13- **Appointment by Promotion:-(1)** There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for Promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 16 percent, 20 percent and 14 percent of the available vacancies for promotion to such posts, more shall be reserved for such officers belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 14.

(4) Procedure for making promotion to the vacancies reserved shall be in accordance with the instructions issued by the Government in the General Administration Department, from time to time.

14. **Conditions of eligibility for Promotion/transfer :-**(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who, on the 1st day of January of that year had completed such number of years of services(whether officiating or substantively) on the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared by the Government equivalent thereto as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule(2):

Provided that the services of the released officers of Emergency Commission and Short Service Commissions,after their appointment in the service, shall be counted from the date from which they have been appointed in service in accordance with the General Administration Department Memo No. 2266-1987-I(8)-67, dated the 21st October,1967:

Provided, further that no junior person shall be considered for select grade/promotion in preference to the person senior to him on the basis completing the prescribed period of service under this rule.

(2) The zone of consideration for selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list,in respect of posts to be filled on the basis of merit-cum-seniority and five times the number of officers to be included in the selection list in respect of posts to be filled on the basis of seniority-cum-merit :

Provided that if suitable officers are not available in the zone so determined in the required number,the zone may be enlarged to the extend considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing therefor.

15. **Preparation of the list of the suitable persons :-** (1) TheCommittee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service.The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of selection list.A reserve list consisting 25 percent of the number of persons in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in column(2) of Scheduled IV, at the time of preparation of each selection list:

Provided that, any junior officer who, in the opinion of the Committee, is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Explanation:- A person whose name is included in a selection list but who is not promoted during the validity of the list,shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection,review or revision, it is proposed to supersede any member of the Subordinate Civil Service,the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select list : – (1)** The list of suitable candidates,as prepared by the Departmental Promotion Committee, shall from the select list for promotion of the members from the posts specified in column (2) of Scheduled IV to the posts specified in column (3) of Schedule IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15,but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of perfomance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Department Promotion Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment in the service from the select list :-(1)**Appointments of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list:

Provided that, where administrative exigences so require a person,whose name is not included in the select list or whose name is not next in the select list, may be appointed in the service if the Government is satisfied the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Departmental Promotion Committee before appointment of a person in the service whose name is included in the select list, unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occur any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for Appointment in the Service.

18. **Probation :-**Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation:-**If any question arises relating to the interpretaion of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation :-** Nothing contained in these rules shall be coustrued to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and equitable .

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

(a) **Saving.** - Nothing contained in these rules shall affect reservations and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time this regard.

21. **Repeal and Saving:-** All rules corresponding to these rules in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules: .

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAYENDRA, Secretary.

SCHEDULE - I

(See rule 6)

Classification, pay scale in service & No. of posts included in service

Name of posts included in the service	No. of Posts.	Classification	Pay scales Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
System Analyst	1	Gazetted I	10000--15200
Programmer	4	Gazetted II	8000--275--13500

SHEDULE - II

(See rule 6)

Procedure of Recruitment

Name of the Department	**Name of the Service**	**Name of in the Service**	**Number of total posts**	**Percentage of posts to be filled**	
				By Promotion of the members of the Service	**By direct recruitment**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Chhattisgarh Treasuries information Techonology	System Analyst	1	100%	
Finance Department	Chhattisgarh Treasuries information Techonology	Programmer	4	100 %	

SHEDULE - III
(See rule 6)

Name of Department	Name of the service	Minimum age limit	Upper age limit	Prescribed educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Finance Department	Programmer	21	35 years	1. (a) Bachelor of Engineering / Bachelor of Technology / Bachelor of Science (Engineering) with 1st Class or atleast 60 % marks in aggregate or equivalent grade. OR (b) Master in Computer Application / Master in Computer Management / Masters in Information Technology / Master of Science / Master of Arts in (Physics / Maths / Statistics / Operation Research / Economics. Computer Science) with 1st Class or atleast 60% marks in aggregate or equivalent grade. OR (c) Bachelor in Computer Appilication/ Bachelor in Computer Managment/ Bachelor in Information Technology / Bachelor of Science/ Bachelor of Arts. in (Physics / Maths / Statistics / Operation Research / Economics / Computer Science with either Post Gtadudate Diploma in Computer Science / Computer Application. the Bachelor's Degree and P.G. Diploma should be with 1st Class or atleast 60 % marks in aggregate or equivalent grade.
	System Analyst	21	35 years	1. (a) Bachelor of Engineering / Bachelor of Technology / Bachelor of Science (Engineering) with 1st Class or atleast 60 % marks in aggregate or equivalent grade. OR (b) Master in Computer Application / Master in Computer Management / Masters in Information Technology / Master of Science / Master of Arts in (Physics / Maths / Statistics / Operation Research / Economics. Computer Science) 1st Class or atleast 60% marks in aggregate or equivalent grade. OR (c) Bachelor in Computer Appilication/ Bachelor in Computer Managment/ Bachelor in Information Technology / Bachelor of Science/ Bachelor of Arts. in (Physics / Maths / Statistics / Operation Research / Economics / Computer Science with either Post Gtadudate Diploma in Computer Science / Computer Application). the Bachelor's Degree and P.G. Diploma should be with 1st Class or atleast 60 % marks in aggregate or equivalent grade.

SCHEDULE - IV
(See rule 14)

Name of Department	Name of post from which Promotion is to be made	Minimum experience for eligibility	Name of the post to which Promotion is to be made	Name of the members of the Departmental Promotion Committee (See Rule 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Finance Department	Assistant Programmer	Completed five years of Service on the posts of Assistant Programmers under the Directorate of Treasury and Accounts.	Programmer	1. Chairman, Public Service Commission or any member of Commission nominated by him.- Chairman 2. Principal Secretary/ Secretary, Finance Department.- Member 3. Director/ Additional Director, Treasuries and Accounts- Member
	Programmer	Completed five years of Service on the posts of Programmers under the Directorate of Treasury and Accounts.	System Analyst	4.If in the above mentioned, committee there is no represeentation of Scheduled Caste/Scheduled Tribe, the Commissioner, Treasuries and Accounts will nominate a senior officer belonging to the above mentioned category

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

क्रमांक 3074/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा, में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:— ये नियम "छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती एवं सेवा की शर्तें, नियम, 2008" कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, परिवहन आयुक्त;

(ख) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8/5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति:—छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन :— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में उल्लिखित पद मूलत: धारण कर रहे हो।

(2) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

(ii) अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए तथापि यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो ऊंचाई 158से.मी.से कम नहीं होनी चाहिए।

(iii) सीने की माप-- 81.50 से.मी. (बिना फुलाए), 86.50 से.मी.(फुलाकर)।

स्पष्टीकरण :– यदि किसी अभ्यर्थी के सीने की माप बिना फुलाये माप की उक्त सीमा से अधिक हो तो उस माप से न्यूनतम 5 से.मी. फुलाना अनिवार्य होगा।

(iv) अभ्यर्थी की अच्छी द्वि–नेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए ।

(v) उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए ।

(vi) उसकी दोनों आंखों में प्रमुख रंगों में अन्तर करने की क्षमता होनी चाहिए।

(vii) दोनों आंखों में से किसी में भी भेंगापन या रतौंधी नहीं होनी चाहिये तथा अभ्यर्थी की निशादृष्टि अच्छी होनी चाहिये ।

(1) (ख) परिवहन उप–निरीक्षक :– अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होगा–

(i) पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 152 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) सीने की माप 81.50 से.मी. (बिना फुलाये, 86.50 से.मी. (फुलाकर) से कम नहीं होना चाहिए।

(iii) अभ्यर्थी की अच्छी द्वि–नेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए ।

(iv) उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। उसे प्रमुख रंगों में अन्तर करने की क्षमता होनी चाहिए।

(1) (ग) परिवहन आरक्षक :–

(i) अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी गोरखों, गढ़वालियों तथा मराठों से है तो ऊंचाई 162.50 से कम नहीं होनी चाहिए महिलाओं की ऊंचाई 152 से.मी से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) सीने की माप– 81.50 से.मी. (बिना फुलाए), 86.50 से.मी. (फुलाकर) से कम नहीं होना चाहिए ।

(iii) अभ्यर्थी की अच्छी द्वि–नेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए ।

(iv) उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। उसे प्रमुख रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए।

5. वर्गीकरण,वेतनमान इत्यादि :— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची -- एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होंगे ।

परन्तु सरकार समय–समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में एवं वेतनमान में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका :--इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी अर्थात् :-

(1) (क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से।

(ख) अनुसूची चार के कॉलम 2 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यो की पदोन्नति द्वारा।

(ग) ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक/स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले व्यक्तियो के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) उपनियम (1) में के खंड (क) या खंड (ख) तथा खंड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची दो में यथाविनिर्दिष्ट दर्शाये गये पदों की संख्या एवं प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके और ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी ।

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करें।

(5) छ.ग. सिविल सेवा (अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देश लागू रहेंगे ।

7. सेवा में नियुक्ति :-- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी, और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं ।

8. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी शर्तें (लिपिकीय/अनुसचिवीय सेवा से चयन के अतिरिक्त)-- चयन/प्रतियोगी परीक्षा के लिये पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) (क) सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी --

(i) अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होगा।

(2) शारीरिक दक्षता परीक्षण :— अभ्यर्थियों को परिवहन उप निरीक्षक तथा आरक्षक के पद के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हित होना होगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए ।

(3) आयु —

(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को यथास्थिति अनुसूची तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट की गयी आयु सीमा की शर्तें पूरी कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997, के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु—सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु—सीमा शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छटनी किया गया सरकारी सेवक" हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गयी समस्त स्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी हो कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु—सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :— शब्द "छंटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके

परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु–सीमा से 3 वर्षसे अधिक न हो;

स्पष्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छःमास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था ।

(i) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(ii) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें दूसरी बार नामांकित कर दिया गया हो और जिन्हें;

(क) अल्पकालीन बचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर ,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ।

(iii) मद्रास सिविल युनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;

(iv) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है जो संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो;

(v) ऐसे भूतपूर्व अधिकारी जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छःमाह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है ;

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

(ङ.) विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जायेगी।

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक है उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चन्द्र भन्जदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश/राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी है उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी। छूट की यह सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। किन्तु किसी भी दशा में संबंधित नगर सैनिक/कमीशन्ड अधिकारी की आयु 38 वर्षसे अधिक नहीं होनी चाहियें ।

(ट) पुलिस विभाग के सामान्य अभ्यर्थियो के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक होगी।

टिप्पणी :— ऐसे अभ्यर्थी जो नियम 8 के खंड (ग) के (तीन) के उपखंड तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये है, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं। तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हों तो वे पात्र बने रहेंगे । किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(4) शैक्षणिक अर्हता :— अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में दर्शायी गयी सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहियें, परन्तु :—

(क) अपवादिक मामलो में नियुक्ति प्राधिकारी, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास इस खंड मे विहित कोई भी अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओ द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में अभ्यर्थी के चयन पर विचार करने के लिए उचित हों।

(ख) अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो जो विश्वविद्यालय, शासन द्वारा विशेषतः मान्यता प्राप्त न हो वह भी परीक्षा/चयन मे उपस्थिति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकाधिकार से विचारणीय होगा।

(5) फीस :—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

9. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की पात्रता.—(9) (1) परिवहन निरीक्षक के पद हेतु —

(i) ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा जिन्होने पुलिस विभाग में निरीक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा की हों।

(ii) ऐसे अधिकारी की न्यूनतम आयु 40 वर्षो से कम न हो।

(iii) ऐसे अधिकारी जिनका अंतिम 5 वर्षो का सेवावृत्त अच्छा या उससे ऊपर की श्रेणी का हो।

(iv) ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/दाण्डिक प्रकरण पंजीबद्ध/लंबित नहीं होना चाहिए।

(v) ऐसे अधिकारी शारीरिक रूप से फिट/दक्ष होने चाहिए।

(vi) ऐसे अधिकारी परिवहन विभाग में पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर नहीं होने चाहिए।

(2) परिवहन उप–निरीक्षक के पद हेतुः–

(i) ऐसे अधिकारी जिन्होने पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर न्यूनतम 5 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हों।

(ii) ऐसे अधिकारी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(iii) अंतिम (पिछले) 5 वर्षका सर्विस रिकार्ड अच्छा या उच्च श्रेणी का हो।

(iv) ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच या दाण्डिक प्रकरण पंजीबद्ध/लंबित नहीं होना चाहिए।

(v) उसे शारीरिक रूप से फिट/दक्ष होना चाहिए।

(vi) उसे परिवहन विभाग में पूर्व मे प्रतिनियुक्ति पर नहीं होना चाहिए।

10. निरर्हताः– अभ्यर्थियों की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन के लिये निरर्हित ठहराया जा सकेगा ।

11. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगाः– परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश के लिये अनुज्ञात नही किया जायेगा ।

12. चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती (अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द से चयन के अतिरिक्त):–

(1) (एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे ।

(दो) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर शासन के परामर्श से विहित प्रकिया द्वारा ली जायेगी ।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रकम में पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा ।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य है, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 14 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो ।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, उपनियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित

जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा

(5) जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है, और नियुक्ति प्राधिकारी तथा किसी अन्य सक्षम अधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

13. परिसीमित प्रतियोगी परिक्षा के माध्यम से अनुसचिवीय (लिपिकीय) सेवा से परिवहन उप निरीक्षक के पद पर चयन द्वारा सीधी भर्ती :-

(1) परिवहन उपनिरीक्षक के पदो पर परिवहन आयुक्त के कार्यालय तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय सेवा से चयन द्वारा भर्ती के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्षऐसे समय पर जैसा कि वह निश्चित करे अनुसूची पांच मे उल्लिखित योजना के अनुसार एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे ।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय , उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य है, नियुक्ति पर विचार उसी कम में किया जावेगा जिसमें उनके नाम उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची में आयें हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची:- ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो , जैसा कि अनुसूची - पांच में अधिकथित किया गया है , तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के ऐसे अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हों फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों योग्यता कम से बनाई जाएगी । यह सूची अंतिम रूप से तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्षके लिये विधिमान्य होगी ।

(5) इन नियमों तथा छत्तीगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में उसी कम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों ।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधो के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30% पद आरक्षित होंगे।

(8) सूची, समिति द्वारा उसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी ।

14. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियो की सूची :–

(1) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियो की जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियो की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हो, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा मे नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हो, योग्यता कम से बनाई जायेगी। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जायेगी।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 तथा इन नियमो के उपबंधो के अनुसार उपलब्ध रिक्तियो पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियो के नाम उसी कम से विचारणीय होंगे, जिस कम से वे सूची में आये हों।

(3) सूची मे अभ्यर्थी का नाम सम्मिलत होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नही हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच जैसी कि आवश्यक हो, करने के पश्चात यह समाधान न हो जावे कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं।

(4) सफल अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवहन उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक के रूप में नियुक्त किए जायेंगे, जिन्हे 6 माह के शारीरिक प्रशिक्षण लेने हेतु, जैसा कि विहित किया जाये, भेजा जायेगा।

15 पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे। परंतु अपवाद स्वरूप छानबीन/पदोन्नति समिति का अधिकारी अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, यदि नाम निर्देशित सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो, तो उस स्थिति में उक्त समान श्रेणी के स्तर का एक अधिकारी पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जायेगा और पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या में उस सीमा तक वृद्धि हो जायेगी।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों से किया जाये, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का न होगा ।

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का शासकीय सेवकों के रूप में पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण एवं विचार के क्षेत्र विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार दिया जायेगा ।

(4) आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति की प्रक्रिया उन निर्देशों के अनुसार निर्मित की जायेगी, जो शासन समय --समय पर सामान्य प्रशासनविभाग के माध्यम से जारी करे।

16 पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें:-- (1) उपनियम (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित अन्य पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जो कि सरकार द्वारा अनुसूची--चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट वर्षो से कम न हो और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हो ।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचार के क्षेत्र की सीमा) नियम, 1997 तथा छ0ग0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 पदोन्नति हेतु विचारण क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होंगे।

(3) परिवहन आरक्षक से परिवहन प्रधान आरक्षक तथा परिवहन उपनिरीक्षक से परिवहन निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन सूची में ऐसे अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्होंने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

17. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :-- (1) पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी ।

(2) चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद हेतु पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदंड ज्येष्ठता--सह--उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी ।

(3) चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम --(2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम से रखे जायेंगे ।

परन्तु इन नियमों के अधीन कोई भी कनिष्ठ व्यक्ति अपने वरिष्ठ से पूर्व पदोन्नति हेतु विचारण के लिए केवल इस आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने सेवा की विहित अवधि पूर्ण कर ली है।

स्पष्टीकरण :-- ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

18. चयन सूची :-(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप ये अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची चार के कालम-(2) में दर्शाये गये पदों स उक्त अनुसूची के कॉलम -(3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः एक वर्ष की कालावधि तक या जब नियम 17 के उपनियम 4 के अनुसार या पुनर्विलोकित न किया जाये, प्रवृत्त रहेगी, परन्तु इसकी वैधता इसके निर्मित होने के दिनांक से कुल 18 माह की कालावधि के परे नहीं बढ़ाइ जायेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के निदेश पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :- चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियो की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी कम में की जायेगी, जिस कम से ऐसे कर्मचारियो के नाम चयन सूची में हों।

परन्तु जहां प्रशासनिक अवश्यकता के कारण ऐसा करना आवश्यक हो वहां किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूचीं में न हो या जिसका नाम चयन सूची में दिए गए कम में अगले स्थान पर न हो, उच्चतर पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि रिक्त स्थान के 3 माह से अधिक अवधि तक चालू रहने की संभावना नही है।

20. परिवीक्षा :-सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु इस अवधि के दौरान सेवा में सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति को विभागीय परीक्षा तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

21. शिथिलीकरण :-इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते है, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्य पूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

22. निर्वचन :- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

23. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी ।

24 निरसन तथा व्यावृत्ति— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

अनुसूची—एक

अनु क्र0	सेवा में शामिल पदों के नाम	कर्तव्य पदों की संख्या			सेवा में शामिल पदों का कर्तव्य की प्रकृति अनुसार वर्गीकरण एवं पदों की संख्या		सेवा में शामिल पदों की श्रेणी व वर्गीकरण	वेतनमान
		स्थायी	अस्थाई	योग	तकनीकी	गैर तकनीकी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	17	0	17	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	5500–9000
2	परिवहन निरीक्षक	26	6	32	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	5000–8000
3	परिवहन उप निरीक्षक	20	6	26	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	4000–6000
4	परिवहन सहायक उप निरीक्षक	8	4	12	0 प्रतिशत	100 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	3500–5200
5	प्रधान आरक्षक	25	26	51	0 प्रतिशत	100 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	3050–4590
6	आरक्षक	71	42	113	0 प्रतिशत	100 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	2750–4400

खंड – ब : गैर–प्रवर्तन संवर्ग

1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	निरंक	02	लागू नहीं	लागू नहीं	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	पैतृक संवर्ग का वेतनमान
2	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	निरंक	04	लागू नहीं	लागू नहीं	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	पैतृक संवर्ग का वेतनमान

अनुसूची दो

अनु क.	सेवा में शामिल पदों का नाम तथा श्रेणी	कर्तव्य पदों की संख्या	भर्ती के तरीके अनुसार भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों का प्रतिशत			
			सीधी भर्ती द्वारा	फीडर संवर्ग के पदों पर कार्यरत विभागीय सेवा के कर्म0 की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण द्वारा	अन्य तरीका (अनुकंपा नियुक्ति/संविदा नियुक्ति/संविलयन/अन्य)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	17	25 %	75 %	निरंक	निरंक
2	परिवहन निरीक्षक	32	निरंक	85 %	15 %(सभी अराजपत्रित)	निरंक
3	परिवहन उप निरीक्षक	34	50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा (सभी तकनीकी)		15 प्रतिशत (सभी गैर–तकनीकी) पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	20 प्रतिशत (सभी गैर–तकनीकी) पार्श्व प्रवेश **(Lateral Entry Scheme)** के तहत विभागीय लिपिक वर्गीय सेवा से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती । अन्य तरीके से– निरंक
4	परिवहन सहायक उप निरीक्षक	12	निरंक	100 %	निरंक	निरंक
5	प्रधान आरक्षक	41	निरंक	100 %	निरंक	निरंक
6	आरक्षक	113	निरंक	100 %	निरंक	निरंक
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	निरंक	निरंक	100 % (आर्थिक सांख्यिकी विभाग की संबंधित सेवा के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा)	निरंक
8	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	निरंक	निरंक	100 % (वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा)	निरंक

अनुसूची तीन : सीधी भर्ती/चयन हेतु अर्हता

सेवा में शामिल पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	सेवा में भर्ती हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता	विभागीय चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य अर्हता :– 1. आटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रोपाधि (डिप्लोमा) वांछनीय :– 1. किसी प्रतिष्ठित आटोमोबाईल वर्कशाप जिसमें पेट्रोल और डीजल इंजन वाले हल्के मोटरयानों, भारी मालयानों तथा भारी यात्री मोटरयानों की मरम्मत की जाती है, में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव । 2. मोटरसाईकिल, हल्का मोटरयान, भारी मालयान तथा भारी यात्री मोटरयान चलाने को प्राधिकृत करने वाला ड्राईविंग लाइसेंस धारण करता हो । 3. शासन से मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री /डिप्लोमा/सर्टिफिकेट जो न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो ।	आवश्यक नहीं । (टिप्पणी :–छ.ग.लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जावेगी)
2. परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी)	21	35	अनिवार्य अर्हता :– 1. आटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रोपाधि (डिप्लोमा) वांछनीय :– 1. किसी प्रतिष्ठित आटोमोबाईल वर्कशाप जिसमें पेट्रोल और डीसल इंजन वाले हल्के मोटरयानों, भारी मालयानों तथा भारी यात्री मोटरयानों की मरम्मत की जाती है, में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव । 2. मोटरसाईकिल, हल्का मोटरयान, भारी मालयान तथा भारी यात्री मोटरयान चलाने को प्राधिकृत करने वाला ड्राईविंग लाइसेंस धारण करता हो । 3. शासन से मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री /डिप्लोमा/सर्टिफिकेट जो न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो ।	आवश्यक नहीं । (टिप्पणी :–छ.ग.लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जावेगी)
3. परिवहन उपनिरीक्षक (गैर तकनीकी)	—	45 वर्ष	अनुसूची 5 के अनुसार	कालम 1 में स.क. 2 से 3 तक उल्लेखित दोनों पदों हेतु कार्य करेगा

4. परिवहन आरक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष		1.अपर परिवहन आयुक्त— अध्यक्ष 2.उप संचालक (वित्त) — सदस्य 3.सहायक परिवहन आयुक्त —सदस्य सचिव 4. उपर्युक्त में से कोई भी अधिकारी किसी भी आरक्षित वर्ग से नहीं है तो आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी जो सहायक परिवहन आयुक्त से कम स्तर का न हो नामांकित किया जायेगा । 5. चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से या नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेक से उचित प्रतीत होने पर किसी अन्य विभाग के द्वितीय या इससे उच्च श्रेणी के अधिकारी जिसे भर्ती संबंधी कार्य का उचित अनुभव हो नामांकित कर सकता है ।

अनुसूची – चार

सेवा में शामिल उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है (फीडर संवर्ग)	पदोन्नति के लिए अर्ह होने हेतु न्यूनतम वास्तविक सेवा अवधि	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	5 वर्ष	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	(1) अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामित सदस्य–अध्यक्ष (2)अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह–परिवहन आयुक्त , सदस्य (3)अपर परिवहन आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सदस्य
2. परिवहन निरीक्षक	5 वर्ष	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	(1) अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामित सदस्य–अध्यक्ष (2)अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह–परिवहन आयुक्त , सदस्य (3) अपर परिवहन आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सदस्य
3. परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी/गैर तकनीकी)	5 वर्ष	परिवहन निरीक्षक	(1)अपरमुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह–परिवहन आयुक्त , सदस्य (2)अपर परिवहन आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सदस्य (3)उपसंचालक (वित्त) परिवहन आयुक्त कार्यालय –सदस्य सचिव
4. सहायक परिवहन उपनिरीक्षक (गैर तकनीकी)	5 वर्ष	परिवहन निरीक्षक	(1)अपरमुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह–परिवहन आयुक्त , सदस्य (2)अपर परिवहन आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सदस्य (3)उपसंचालक (वित्त) परिवहन आयुक्त कार्यालय –सदस्य सचिव
5. परिवहन प्रधान आरक्षक	5 वर्ष	सहायक परिवहन उपनिरीक्षक (गैर तकनीकी)	(1)अपरमुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह–परिवहन आयुक्त , सदस्य (2)अपर परिवहन आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सदस्य (3)उपसंचालक (वित्त) परिवहन आयुक्त कार्यालय –सदस्य सचिव
6. परिवहन आरक्षक	5 वर्ष	परिवहन प्रधान आरक्षक	(1)अपरमुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह–परिवहन आयुक्त , सदस्य (2)अपर परिवहन आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सदस्य (3)उपसंचालक (वित्त) परिवहन आयुक्त कार्यालय –सदस्य सचिव

टीप:– यदि अनुसूची के कॉलम 4 में उल्लेखित अधिकारियों में आरक्षित वर्ग का कोई अधिकारी न हो तो एक विभागीय अधिकारी जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के रैंक का हो, नामांकित किये जावेंगे।

अनुसूची--पांच

पार्श्व-- प्रवेश की योजना के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती अर्थात परिवहन उप--निरीक्षकों (गैर तकनीकी) के पदों को परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा में से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन कर पूर्ति की योजना :--

1. नाम :--इस योजना का संक्षिप्त नाम परिवहन उप--निरीक्षकों (गैर तकनीकी) के पदों का परिवहन विभाग की लिपिकवर्गीय सेवा में कार्यरत् व्यक्तियों में से चयन द्वारा पूर्ति की योजना है.

2. पात्रता:--परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा के केवल ऐसे सदस्य ही योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं --

(एक) जो परिवहन विभाग में परिवहन आयुक्त के कार्यालय में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में किसी लिपिक वर्गीय पद पर परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् नियमित सेवा में कम से कम पांच वर्ष तक स्थाई या स्थानापन्न हैसियत से सेवा कर चुके हों, एवं

(दो) जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, एवं

(तीन) उस वर्ष की, जिसमें चयन किया गया है , एक जनवरी को जिसकी आयु 45 वर्षसे अधिक न हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कर्मचारियो के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी, एवं

(चार) जो निम्नलिखित शारीरिक प्रमाण रखता हो, अर्थात--

(i) अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक निःशक्तता से मुक्त होगा ।

(ii) अभ्यर्थियों की ऊंचाई 165 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए तथापि यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो ऊंचाई 158 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए ।

(iii) सीने का माप :-- 81.50 से.मी. (बिना फुलाए), 86.50(फुलाने के पश्चात्) से.मी. से कम नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण :-- यदि किसी अभ्यर्थी के सीने की माप बिना फुलाये माप की उक्त सीमा से अधिक हो तो उस माप से न्यूनतम 5 से.मी. फुलाना अनिवार्य होगा ।

(iv) उसकी दृष्टिकी तीक्ष्णता एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए ।

(v) उसकी दोनों आंखों में प्रमुख रंगों में अन्तर करने की क्षमता होनी चाहिए।

(vi) दोनों आंखों में से किसी में भी भेंगापन तथा रतौंधी नहीं होनी चाहिये । अभ्यर्थी की निशादृष्टि अच्छी होनी चाहिये ।

(पांच) शारीरिकदक्षता परीक्षण :— अभ्यर्थियों को पद के लिये ऐसे शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हित होना होगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए । दक्षता परीक्षण चयन प्रक्रिया के लिखित परीक्षा के पूर्व लिया जायेगा और यह अर्हताकारी होगा ।

3. चयन :— नियुक्ति के लिये चयन—

(एक) इस योजना के अधीन ली जाने वाली लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको, तथा

(दो) संबंधित कर्मचारी के पिछले पांच वर्षो की चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर होगा

4. परीक्षा :—

(एक) लिखित परीक्षा प्रतिवर्ष या ऐसे अंतरालों पर, ऐसी तारीख पर तथा ऐसे स्थान पर होगी, जैसा नियुक्ति प्राधिकारी विनिश्चित करें ,

(दो) लिखित परीक्षा में दो प्रश्न—पत्र होंगे, प्रत्येक 50 अंको तथा ढाई घंटो की अवधि का होगा । प्रत्येक प्रश्नपत्र में वही व्यक्ति उत्तीर्ण समझे जायेंगे जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक उस प्रश्नपत्र में प्राप्त किये हों । प्रत्येक प्रश्नपत्र में स्वतंत्र रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो । (आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को नियमानुसार छूट दी जायेगी)

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रश्न पत्र तैयार कराये जाएंगे तथा उसमें निम्नलिखित विषय होंगे :—

प्रथम प्रश्न—पत्र — सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा गणित

द्वितीय प्रश्न—पत्र —शासकीय नियम एवं विनियम, परिवहन विभाग के अधिनियम एवं नियम आदि

(चार) प्रश्न—पत्रों के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो उपबंध—एक में दिया गया है, पाठ्यक्रम/ विषय में जहाँ कही भी शासकीय नियमों का उल्लेख है वहाँ अभिप्राय अद्यतन नियमों से रहेगा । उल्लेखित नियम यदि निरसित कर उनके स्थान पर नये नियम लागू किये जायें तो नये नियम पाठ्यक्रम में शामिल माने जायेंगे ।

(पांच) केवल वे ही कर्मचारी, जो अधिकथित अर्हताएं पूर्ण करते हैं, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन, परीक्षा के लिए नियत तारीख कम से कम एक मास पूर्व आमंत्रित किये जाएंगे और उनमें से केवल उन अभ्यर्थियों को, जो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र पाए जाएं, परीक्षा की तारीख, समय तथा स्थान सूचित किया जाएगा , उस जिले के सिविल सर्जन का जहां पर कर्मचारी कार्य कर रहा हो, शारीरिक योग्यता तथा ऊंचाई, हाथ,छाती के माप के संबंध में प्रमाण—पत्र पैरा 2 (चार) के अधीन उसकी पात्रता का निश्चायत्मक सबूत होगा, जो परीक्षा के लिये आवेदन में संलग्न करना होगा, पैरा से अधूरी या अस्पष्ट जानकारी आवेदक कर्मचारी को अपात्र ठहरायेगा तथा ऐसे कर्मचारी परीक्षा में शामिल नहीं किये जायेंगे।

परन्तु यह भी कि चयनित कर्मचारियों की सेवा में नियुक्ति के पूर्व पुनः चिकित्सकीय परीक्षण व शारीरिक प्रमाप की जांच सक्षम मेडिकल बोर्ड से करायी जायेगी। इस स्तर पर अनफिट पाये गये कर्मचारी पद पर नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

(छः) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम– निर्देशित परिवहन विभाग में कार्यरत/सेवारत अधिकारियों से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा ।

(सात) ऐसे कर्मचारियों की सूची, जिन्होंने दोनों प्रश्न–पत्रों में से प्रत्येक में पैरा 4 के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों अलग से तैयार की जाएगी।

5. (एक) उन कर्मचारियों की, जिनके नाम ऊपर पैरा 4 (सात) के अनुसार तैयार की गई सूची में आए हों, पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली का परिवहन उप–निरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए मूल्याकंन, अनुसूची–चार के कॉलम 3 के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा ।

(दो) प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को, प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिए 20 अंको में से, निम्न लिखित आधार पर अंक जोड़े या घटाये जाएंगे, अर्थात्:–

चरित्रावली मापदंड	दिये जाने वाले अंक	रिमार्क
उत्कृष्ट/बहुत अच्छा (क)	20	———
अच्छा (ख)	15	———
साधारण (ग)	10	———
निकृष्ट/घटिया (घ)	(–) 20	अर्थात 20 घटाये जायेंगे।

(तीन) प्रत्येक कर्मचारी को चरित्रावली के आधार पर 100 में से दिए गए कुल अंको को, उसके द्वारा परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के सामने रखा जाएगा और अभिप्राप्त कुल अंकों का योग किया जाएगा ।

(चार) परीक्षा में तथा चरित्रावली के मूल्यांकन में अभिप्राप्त कुल अंकों के अनुसार चयन की अंतिम सूची प्रावीण्यता कम से तैयार जाएगी, लिपिक वर्गीय सेवा के कोटे के पद के विरूद्व परिवहन उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति, उसी कम में की जाएगी जिस कम में उनके नाम हों ।

(पांच) योजना के अधीन परिवहन उप निरीक्षक के रूप नियुक्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता पैरा 5 (चार) के अध्यधीन तैयार की गई अंतिम चयन सूची में दी गई ज्येष्ठता पर आधारित होगी ।

6 योजना का क्रियान्वयन, सेवा में नियुक्ति इत्यादि भर्ती नियम के नियम 13 के सम्यक निर्वहन करते हुए की जायेगी ।

उपाबंध एक

प्रश्न–पत्रों का पाठ्यक्रम

//खंड –क सामान्य ज्ञान 15 अंक//

प्रचलित घटनाऐं, भारत व छ.ग. का इतिहास, छ.ग. का भूगोल, सामान्य ज्ञान, भारत का संविधान, लोक प्रशासन,बौद्धिक व तार्किक योग्यता ।

//खंड –ख सामान्य हिन्दी 15 अंक//

शासकीय पत्र एवं अर्ध शासकीय पत्र लेखन, परिपत्र.कारण बताओं नोटिस, कार्यालयीन नोटशीट आदि का प्रारूप लेखन, दिये गये विषयों में किसी विषय पर अधिकतम 150 शब्दों में निबंध लेखन, दिये गये गद्यांश का सारांश लेखन, अपठित गद्यांश पर प्रश्नोत्तर, व्याकरण पर आधारित प्रश्न (लोकोक्ति, मुहावरा आदि सहित) ।

//खंड –ग गणित 15 अंक//

सामान्य गणित जिनके प्रश्न छ.ग. मोटरयान कराधान अधिनियम व नियमों के आधार पर करगणना, समझौता शुल्क निर्धारण आदि पर आधारित होंगे ।

द्वितीय प्रश्न--पत्र (पूर्णांक 50)

//खंड –क शासकीय नियम एवं विनियम 20 अंक//

विभागीय भर्ती नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, वेतन निर्धारण संबंधी नियमों की प्रारंभिक जानकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1969, छ.ग. (अस्थायी एवं अर्धस्थायी सेवा) नियम 1960, सिविल सेवा आचरण नियम 1965, छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 व छ.ग. सिविल सेवा पदोन्नति नियम 2003।

//खंड –ख परिवहन विभाग के अधिनियम एवं नियम आदि 30 अंक//

(i) मोटरयान अधिनियम 1988

(ii) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989

(iii) छ.ग. मोटरयान नियम 1994

(iv) छ.ग. मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम, एवं

(v) अन्य संबंधित अधिसूचनाएँ व योजनाएँ

(vi) विभाग में प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न तकनीकी पदों का ज्ञान

(vii) परिवहन विभाग का गठन एवं संरचना

टिप्पणी :– प्रत्येक प्रश्न–पत्र में वस्तुनिष्ठ, लघुउत्तरीय, दीर्घउत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न यथोचित संख्या में सेट किये जायेंगे । वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 25 प्रतिशत अंक से ज्यादा का नहीं होगा। केवल सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के सेट किये जा सकेंगे ।

अनुसूची – छः

(देखिए नियम 15.04)

विभाग का नामः– परिवहन विभाग, छ.ग. शासन

सेवा का नाम – छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग तृतीय श्रणी अराजपत्रित, कार्यपालिक सेवा

विभागीय परिवहन आरक्षक प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति परीक्षा के मार्गदशी नियम

(एक) एक लिखित परीक्षा प्रतिवषया ऐसे अंतरालों पर, ऐसी तारीख पर तथा ऐसे स्थान पर होगी, जैसा नियुक्ति प्राधिकारी, विनिश्चित करें ।

(दो) लिखित परीक्षा में दो प्रश्न–पत्र होंगे, प्रत्येक 50 अंको तथा ढाई घंटो की अवधि का होगा, प्रत्येक प्रश्नपत्र में वहा व्यक्ति उत्तीर्ण समझे जायेंगे जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक उस प्रश्नपत्र में प्राप्त किये हों। प्रत्येक प्रश्न में स्वतंत्र रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा । (आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को नियमानुसार छूट दी जायेगी) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रश्न पत्र तैयार कराये जाएंगे तथा उसमें निम्नलिखित विषय होंगे, अर्थात :–

प्रथम प्रश्न–प्रत्र

सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा गणित

द्वितीय प्रश्न–पत्र

विभागीय कार्यज्ञान, परिवहन विभाग के अधिनियम एवं नियम आदि

(तीन) प्रश्न–पत्रों के लिए पाठ्यकम वही होगा जो उपबंध में दिया गया है पाठ्यकम/विषय में जहॉ कही भी शासकीय नियमों का उल्लेख है, वहॉ अभिप्राय अद्यतन नियमों से रहेगा। उल्लेखित नियम यदि निरसित कर उनके स्थान पर नये नियम लागू किये जाये तो नये नियम पाठ्यकम में शामिल माने जायेंगे ।

उपाबंध एक

प्रश्न–पत्रों का पाठ्यकम

प्रथम प्रश्न–पत्र (पूर्णांक 50)

//खंड –क सामान्य ज्ञान 15 अंक//

प्रचलित घटनाऍ, भारत व छ.ग. का इतिहास, छ.ग. का भूगोल, सामान्य ज्ञान, भारत का संविधान, लोक प्रशासन,बौद्धिक व तार्किक योग्यता ।

//खंड –ख सामान्य हिन्दी 15 अंक//

शासकीय पत्र एवं अर्धशासकीय पत्र लेखन, परिपत्र,कारण बताओ नोटिस कार्यालयीन नोटशीट आदि का प्रारूप लेखन, दिये गये विषयों में किसी विषय पर अधिकतम 150 शब्दों में निबंध लेखन, दिये गये गद्यांश का सारांश लेखन, अपठित गद्यांश पर प्रश्नोत्तर, व्याकरण पर आधारित प्रश्न (लोकोक्ति, मुहावरा आदि सहित) ।

//खंड –ग गणित 15 अंक//

सामान्य गणित, जिनके प्रश्न छ.ग. मोटरयान कराधान अधिनियम व नियमों के आधार पर करगणना, समझौता शुल्क निर्धारण आदि पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से हो ।

द्वितीय प्रश्न–पत्र (पूर्णांक 50)

//खंड –क शासकीय नियम तथा विनियम 25 अंक//

विभागीय भर्ती नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, वेतन निर्धारण संबंधी नियमों की प्रारंभिक जानकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1969, छत्तीसगढ़ अस्थायी एवं अर्द्धस्थायी सेवा) नियम, 1960, सिविल सेवा आचरण नियम, 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966, तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पदोन्नति नियम, 2003।

//खंड –ख परिवहन विभाग के अधिनियम एवं नियम आदि 30 अंक//

(i) मोटरयान अधिनियम 1988

(ii) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989

(iii) छ.ग. मोटरयान नियम 1994

(iv) छ.ग. मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम,

(v) अन्य संबंधित अधिसूचनाएँ व योजनाएँ

(vi) विभाग में प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न पारिभाषिक पदों का ज्ञान

(vii) परिवहन विभाग का गठन तथा संरचना

टिप्पणी :– प्रत्येक प्रश्न–पत्र में वस्तुनिष्ठ, लघुउत्तरीय व दीर्घउत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न यथोचित संख्या में सेट किये जायेंगे । वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 25 प्रतिशत अंक से ज्यादा की नहीं होगी। केवल सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के सेट किये जा सकेंगे ।

अनुसूची--सात

प्रतिनियुक्ति की अर्हता

(देखिए नियम 7.17 तथा 20)

विभाग का नाम :– परिवहन विभाग, छ.ग. शासन

सेवा का नाम :-- छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा

क0	सेवा मे शामिल पद	पैतृक संवर्ग में सेवा की न्यूनतम वास्तविक कार्यावधि	प्रतिनियुक्ति हेतु न्यूनतम अनिवार्य आयुसीमा,
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	परिवहन निरीक्षक	03	40 वर्ष
2.	परिवहन उपनिरीक्षक	05	35 वर्ष
3.	परिवहन सहायक उपनिरीक्षक	05	35 वर्ष
4.	प्रधान आरक्षक	05	30 वर्ष
5.	आरक्षक	05	30 वर्ष

अनुसूची –आठ

परिवहन आरक्षक के पद पर पर भर्ती हेतु बोनस अंक

(देखिए नियम 11.08)

विभाग का नाम :– परिवहन विभाग, छ.ग. शासन

सेवा का नाम :– छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा

क्र0	मापदण्ड	अंक	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1. मान्यता प्राप्त संस्था/ मंडल से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण	05	——
	2. राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व	05	
2	मान्यता प्राप्त संस्था/मंडल से अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।	05	
3	केन्द्रीय/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम 1 वर्ष का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा	10	
4	पिछले तीन वर्षों में किसी समय टीम या व्यक्तिगत प्रतियोगिता में एक सदस्य के रूप में	05	
5	एन.सी.सी."सी" प्रमाण पत्र धारी	05	——
6	छ.ग. शासन के होमगार्ड सेवा में सैनिक के पद पर न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर	01 प्रतिवर्ष (05 अधिकतम)	प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिये एक अंक प्रदान किये जायेंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 05 अंक होगी।

अनुसूची –नौ

सत्यापन प्रोफार्मा जिससे चरित्र सत्यापन किया जायेगा

(देखिये नियम 9.02)

विभाग का नाम:–परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन

सेवा का नाम:– छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग, श्रेणी III अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा

Raipur, the 14th October 2008

No. 3074/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment in the Transport Department subordinate Class-III (Executive) Service, namely :—

RULE

1. **Short title and commencement: -** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Transport Department Sub-Ordinate, class-III (Executive) Service Recruitment and Condition of Service Rules, 2008.

   (2) It shall come into force with effect from date of its publications in the official Gazette.

2. **Definitions: -** In these rules, unless the context otherwise requires:—

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service or post means the Transport Commissioner;

   (b) "Service" means the Chhattisgarh Transport Department Sub-Ordinate (class - III Executive) Service;

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Class of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84 dated the 26th December 1984 as amended from time to time ;

   (f) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Caste" means the scheduled castes as specified in relation to this State under article 341 of the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribe" means the schedule tribes as specified in relation to this State under article 342 of the Constitution of India;

(i) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and Application: - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the Service: - The Service shall consist of the following persons, namely: -

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively on the posts specified in the schedule-I.

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules, and

(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classifications, Scale of Pay etc. - The classification of the Service and the number of posts included in the service, the scale of pay attached thereto, shall be in accordance with the provision contained in the Schedule I;

Provided that the Government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or a temporary basis.

6. Method of Recruitment: -(1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) By direct recruitment through competitive examination/ selection;
(b) By promotion of the members of the service, as specified in column 2 of Schedule IV;
(c) By transfer or on deputation of persons who hold in a substantive / officiating capacity, such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) and (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown on in Schedule II, of the number of posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by

67

the appointing authority in consultation with Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after approval of General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) The provisions of Chhattisgarh Civil Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and the directions issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. Appointment to the Service:- All appointments to the Service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8. Conditions of Eligibility of Candidates for Direct Recruitment (except selection from ministerial service):- In order to be eligible for selection/competitive examination, the candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1)(a) Assistant Regional Transport Officer: -

(i)A candidate should be free from any kind of physical and Mental disability.

(ii)A candidates height should not be less than- 165 c.m. However if the candidate belonging to the scheduled tribes, the height should not be less than 158 c.m.

(iii)Measure of chest:- 81.50c.m.(without expansion), 86.50 c.m.(after expansion).

Explanation:- If a candidate's chest measure is excess than the said limit without expanded, must expand minimum 5 c.m. from this measure.

(iv) Candidate should have good bilateral eye vision and free from disease of eyelid and eyeball.

(v)Vision of eyes should not be less than 6/9 of one eye and 6/12 of other eye.

(vi) His both the eyes should be able to distinguish among major colors.

(vii) None of the eyes must be tilted or night blinded and candidate's night vision should be well.

(1)(b) Transport Sub-Inspector:- The candidate shall be free from physical and mental disability: -

(i) Male candidate should not be less than 165 cm. in height.
Lady candidate should not be than 152 cm. in height,

(ii) Chest measurement not less than:
81.50 cm. (unexpanded)
86.50 cm.(expanded)

(iii) must have good binocular vision and should be free from disease of eyelids and eye balls.

(iv) The acuteness of his vision should not be less than 6/9 with one and 6/12 with other eye. He must be able to distinguish the principal colours.

(1)(c) Transport Constable.-

(i) Should not be less than 165 cm. in height except Gurkhas, Garhwalis and Marathas, whose height should not be less than 162.50 cm. Ladies should not be less than 152 cm. in height,

(ii) Chest measurement should not be less than:

81.50 cm. (unexpanded)

86.50 cm. (expanded)

(iii) Must have good binocular vision and should be free from disease of eyelids and eye balls.

(iv) The acuteness of his vision should not be less than 6/9 with one eye and 6/12 with, other eye. He must be able to distinguish the principal colours.

(2) Physical Efficiency Test:-Candidates for the post of Transport Sub-Inspector and constable should have to qualify in a physical efficiency test as may be determined by the Appointing Authority.

(3)Age:-

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection, as the case may be;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of ten years to women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees, of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the

conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent Government Servant, should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate who is a temporary Government servant and is applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees work charged employees and employees working in the project implementation committees;

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents a total of more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:-The term "Retrenched Government Servant" means a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:-The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-Serviceman released under mustering out concessions;
(ii) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on:-
(a) Completion of short term engagement;
(b) Fulfilling conditions of enrolment;

(iii) Ex-Serviceman of Madras Civil Unit;
(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service regular commissioned officers;
(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
(vi) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(vii) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gun shot, wounds.

(e) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of widows destitute or divorced women candidates;

(f) The upper age limit shall also be relax-able upto five years in respect of Green Card holder candidates under the family welfare programme;

(g) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of a Sawarn Partner who has been awarded under the inter-caste marriage incentive programme of Tribal Scheduled Caste and Backward Classes Welfare Department;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award Gundadhur samman, Maharaj Pravir Chandra Bhanjdev samman and recipient of Rastriya yuva Puraskar holder candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards;

(j) Volunteer Home Guards and Non-Commissioned Officers shall be allowed relaxation in the upper age limit equal to the period of service previously rendered by them in Home Guards. The limit of relaxation as above shall be 8 years i.e. the resultant age of Home Guard/Commissioned officer concerned should not be exceed 38 years;

(k) The maximum age limit for general candidates of Police Department shall be 45 years.

Note:-Candidates, who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of Clause (c) of sub-clause (3) of Rule 8 shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched, from the service, or post after submitting the applications. This age limit shall not be relaxed in any other case. Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for examination/selection.

(4) Educational Qualification:-

The candidate must possess qualification prescribed for the service as shown in Schedule III:

Provided that :-

(a) In exceptional cases the Appointing Authority may treat as qualified any candidate , who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed the examinations conducted by other institutions by such standard which in the opinion of the Appointing Authority justifies the consideration of the candidate to be eligible to appear in the examinations/selection, and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from Foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of the Appointing Authority.

(5) Fees.-The Candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. Eligibility of transfer on deputation:- (1) For the post of transport Inspector: -

(i) Such officers shall be taken on deputation who have served in the Police Department minimum for 3 years as inspectors;
(ii) Such officers whose minimum age is not less than 40 years;
(iii) Such officers whose last five years service record is good or above that grade;
(iv) No departmental inquiry/criminal case should have been registered/pending against such officer;
(v) Such office should be physically fit/efficient;
(vi)Such officer should not have been on deputation earlier in the Transport Department.

(2) For the post of Transport Sub-Inspector. -

(i) Such officer who has completed minimum 5 years of service on the post of Sub-Inspector in the Police Department;

(ii) Such Officers whose minimum age should not be less than 3[illegible] years;
(iii) Service record of last five years should be good or of higher grade;
(iv)No departmental inquiry or criminal case should have been registered/pending against such officer;
(v) Should be physically fit/efficient;
(vi) Should not have been on deputation earlier in the Transport Department.

10. Disqualification:-Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority or disqualify him for examination/selection.

11. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate shall be final:-The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate to appear in the examination/selection shall be final and no such candidate shall be allowed to appear in the examination or permitted for interview to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority..

12. Direct recruitment by competitive examinations-(except selection from ministerial staff):-(1) (i) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may from time to time determine.

(ii) An examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with the procedure prescribed in consultation with the Government from time to time.

(2) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 14 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes recommended by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).

(5) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in through direct recruitment, and in the opinion of the Appointing Authority and any other competent Authority it is found that on the reserved posts, there is no possibility of getting adequate number of candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, there the competent authority shall relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class candidates.

13. Direct recruitment by selection to the post of Transport Sub-Inspector from Ministerial Service through limited Competitive examination: -(1) For filling up the posts of Transport-Inspector by selection from amongst the ministerial services of the office of the Transport Commissioner and subordinate offices under him, the Appointing Authority shall hold annually, at such time, as may be determined a limited competitive examination in accordance with the scheme laid down in Schedule V.

(2) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and order issued by the State Government from time to time

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in sub-rule (1) irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) List of suitable candidates recommended for appointment. -A list arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as has been laid down in Schedule V and of the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard but are declared by the Selection Committee/Appointing Authority to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration shall be prepared. This list shall be valid for one year from the date of final preparation.

(5) Subject to the provision of these rules, and the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment on the available vacancies in the order of their names in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) 30 percent of posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Services(Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(8) The list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the committee.

14. List of Candidates recommended by the Selection Committee:-

(l) The Selection Committee shall forward to the Appointing Authority a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standard as the committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall be published for general information.
(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment on the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right of appointment, unless the Appointing Authority is satisfied , after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The successful candidates appointed as Transport Sub- Inspector, Transport Constable by the appointing authority shall have to undergo six months physical training as may be prescribed.

15. Appointment by Promotion:-(l) There shall be constituted a Departmental Promotion Committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates but excepting the Officer

functioning as Chairman of the Screening/Promotion Committee, if any member does not represent the Scheduled Caste/Scheduled Tribes from amongst the nominated members, in that case one Officer of the level of said same category shall be included in the promotion committee and the number of the members of promotion committee shall be increased to that extent.

(2) The Departmental Promotion Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion to the Government servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribe shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Reservation in Promotion and Limits on the Extent of Zone of Consideration) Rules, 1997.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the Government through the General Administration Department, from time to time.

16. Condition of Eligibility for Promotion :- (1)Subject to the provisions of sub-rule (2) and (3) the committee shall consider the cases of all persons who on 1st January of that year had completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantive) mentioned in column (3) of Schedule IV on the posts mentioned in column (1) of said Schedule are within the zone of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2).

(2)For the zone of consideration for promotion the provisions of Chhattisgarh Civil Services (Reservation in Promotion and Limits on the Extent of Zone of Consideration) Rules, 1997 and Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules, 2003 shall apply.

(3) For further promotion from Transport Constable to Transport Head Constable and Transport Sub-Inspector to Transport Inspector, those officers shall be included in the select list who have passed the prescribed Departmental Examination.

17. Preparation of the list of suitable candidate:- (1)The Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule, 16 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies an account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the select list of persons for promotion from the post of Class IV to Class III and Class III to Class III the criterion shall be seniority subject to fitness.

(3)The name of the official included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in Column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list.

Provided that no junior person shall be eligible for being considered for promotion

under these rules prior to his senior merely on the ground that he has completed the prescribed period of service.

Explanation: A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selections.

18. Select List:-(I) The list as finally approved by the appointing authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column 2 of Schedule IV to the posts mentioned in column 3 of said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force for one year or until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 17 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the committee, may if it think fit, remove the name of such person from the select list.

19. Appointment in service from the select list:-(I) Appointment of employees included in the select list to the post from the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appears in the select list:

Provided that where the administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in the select list may be appointed to the higher post if the Appointing Authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

20. Probation:-Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years:

Provided that during this period, the person directly recruited to the service, it shall be necessary that he should pass the departmental examination and the training prescribed by the appointing authority.

21. Relaxation:-Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable. Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules

22. Interpretation:-If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

23. Saving:-Nothing contained in these rules shall affect the reservation or other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and

Other Backward Classes in accordance with the order issued by the State Government from time to time in this regard.

24. Repeal and Saving:-All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of the matter covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNJA, Special Secretary.

SCHEDULE -I

ST. No.	Name of posts included in service.	No. of duty post.			Classification in accordance of nature of duty of posts included in service and no. of posts.		Rank and classification at posts included in service.	Scale of pay.
		Permanent	Temporary	Total	Technical	Non-Technical		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Assistant Regional Transport Officer	17	0	17	25%	75%	Class IN executive	5500-9000
2.	Transport Inspector	26	6	32	50%	50%	Class III executive	5000-8000
3	Transport Sub-Inspector	20	6	26	50%	50%	Class III executive	4000-6000
4.	Transport Assistant Sub-Inspector	8	4	12	0%	100%	Class III executive	3500-5200
5.	Head Constable	25	26	51	0%	100%	Class III executive	3050-4590
6.	Constable	71	42	113	0%	100%	Class III executive	2750-4400

Clause -B : Non Operational Cadre

1.	Assistant Statistics Officer	02	Nil	02	Not apply	Not apply	Class III executive	Pay scale of parental cadre

2.	Junior Account Officer	04	Nil	04	Not apply	Not apply	Class III executive	Pay scale of parental cadre

SCHEDULE -II

Sr. No.	Name and class of the posts included in serivce	No. of duty posts	Percent of duty post to be filled in accordance of method of recruitment.			
			By direct recruitment	By promotion of employees of Departmental service working on the post of feeder cadre.	By transfer of member of other service	Other method compassionate appointment / Contract appointment /absorbed/ other
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Assistant Regional Transport Officer	17	25%	75%	Nil	Nil
2	Transport Inspector	32	Nil	85%	15% (All Non Gazetted)	Nil
3	Transport Sub-Inspector	34	50% through public service commission by open competition examination (All Technical)		15% (All Non Technical) by transfer or deputation from Police Department	20% (All Non Technical direct recruitment by selection through , limited competitive examination/from departmental ministerial

						service under lateral entry scheme.
4	Transport Assistant Sub-Inspector	12	Nil	100%	Nil	Nil
5	Head Constable	41	Nil	100%	Nil	Nil
6	Constable	112	Nil	100%	Nil	Nil
7	Assistant Statistics Officer	02	Nil	Nil	100% (by transfer or deputation of respective member of Economic Statistics Department)	Nil
8	Junior Account Officer	04	Nil	Nil	100% (by transfer or deputation of sub ordinate Account Service of Finance Department	Nil

SCHEDULE-III

Name of the posts included in service.	**Minimum age limit**	**Maximum age limit**	**Education qualification prescribed for recruitment in service**	**Departmental selection committee**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Assistant Transport Officer	21	35	**Compulsory qualification:-** 1. Diploma in Automobile Engineering or Mechanical Engineering from recognized university / institute desirable:- **1.** Minimum one year's working experience in any emeritus	No require (**Note:-** proceeding of recruitment shall be made trough public Service Commission)

			automobile workshop where are repaired Light Motor Vehicle / Heavy Goods Vehicle and Heavy Passenger Motor Vehicle having petrol or diesel. **2.** Held a driving license authorized to drive motor cycle, light motor vehicle, heavy motor vehicle and heavy passenger motor vehicle. **3.** Degree / Diploma Certificate in Computer Application from recognized by Government, which period is minimum one year,	
2. Transport Sub-Inspector (Technical)	21	35	**Compulsory qualification** 1. Diploma in Automobile Engineering or Mechanical Engineering from recognized university / institute. desirable:- **1.** Minimum one year's working experience in any emeritus automobile workshop where are repaired Light Motor Vehicle / Heavy Goods Vehicle and Heavy Passenger Motor Vehicle having petrol or diesel. **2.** Held a driving license authorized to drive motor cycle, light motor vehicle, heavy motor vehicle and heavy passenger motor vehicle. **3.** Degree / Diploma Certificate in Computer Application from recognized by Government, which period is minimum one year,	No require (Note:- proceeding of recruitment shall be made trough Public Service Commission
3.Transport Sub-Inspector (Non-Technical)	—	45	As schedule -5	Shall work for both the post specified up to sr. no. 2 to 3 in column **1.** Upper Transport Commissioner —President **2.** Deputy Director Finance — member **3.** Assistant Transport Commissioner —member-secretary

4. Transport Constable	18	35		4. 1f any officer is not belonging from reserved category from above, officer shall be nominated from reserved category who is not below the rank of Assistant Transport Commissioner. 5. Selection Committee, after approval by Appointing Authority or Appointing Authority, by own motion if appear him fit may nominates the officer of class II or higher rank to other department who have good knowledge about recruitment work.

SCHEDULE -IV

Name of the posts included in service which promotion is to be made (feeder cadre).	Minimum actual period of service to he quality for promotion	Name of the post to which promotion is to be made.	Designation of the member of Departmental Promotion Committee.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Assistant Regional Transport Officer	5 year	Regional Transport Officer	I. Chairman, public service commission or nominated by Chairman. 2. Upper chief secretary /principal secretary/cum -Transport Commissioner- Member, 3. Upper Transport Commissioner-cum Special Secretary , Member
2.Transport Inspector	5 year	Assistant Transport Officer	I. President, public service commission or nominated by — President, 2. Upper chief secretary /principle secretary / cum-Transport Commissioner — Member, 3. Upper Transport Commissioner-cum Special Secretary , Member
3.Transport	5 year	Transport	1.Upper chief secretary /principle secretary / cum

Sub-Inspector (Technical /Non-Technical)		Inspector	Transport Commissioner — Member, I. Upper Transport Commissioner-cum Special Secretary —Member, 3. Deputy Director (Finance), Transport Commissioner Office --Member Secretary
4.Transport Sub-Inspector (Non-Technical)	5 year	Transport Inspector	1.Upper chief secretary /principle secretary / cum Transport Commissioner - Member, 2.Upper Transport Commissioner-cum Special Secretary —Member, 3. Deputy Director (Finance), Transport Commissioner Office —Member Secretary
5.Transport Head Constable	5 year	Assistant Transport Sub-Inspector (Non-Technical)	1.Upper chief secretary /principle secretary / cum Transport Commissioner - Member, 2.Upper Transport Commissioner-cum Special Secretary —Member, 3. Deputy Director (Finance), Transport Commissioner Office —Member Secretary
6.Transport Constable	5 year	Transport Head Constable	1.Upper chief secretary /principle secretary / cum Transport Commissioner - Member, 2.Upper Transport Commissioner-cum Special Secretary —Member, 3. Deputy Director (Finance), Transport Commissioner Office —Member Secretary.

Note :- If no any officer belonging to reserve category specified in column 4 of schedule one Department Officer who is not below the rank of Regional Transport Officer shall be nominated.

SCHEDULE -V

Direct recruitment by selection through lateral entry scheme or fulfilment scheme of the post of Transport Sub Inspector (Non-Technical) by selection through limited competition examination from ministerial service of Transport Department. **1. Title:-** Sort title of the scheme is the fulfilment scheme of the post of Transport Sub Inspector (Non-Technical) from working person in the ministerial service of Transport Department.

Z.Eligibility:- Only such member of the ministerial service of Transport Department who possess following qualification shall be eligible to take benefit from this plan.
(One) Who has completed the regular service at least five year by permanent or officiating capacity after completing the provisional period on any ministerial post in the office of the Transport Commissioner in Transport Department and any Sub -Ordinate Department, and (Two) Who has passed the bachelor graduation examination from any recognized university, (Three) 1[SE] January of the year which selection is to be made not exceeding of

the age of 45 year, the employees belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class the upper age limit shall be 50 year, and (four) Who possess the following physical fitness, namely:-

(i)The candidate beyond of any kind of physical and Mental disability.

(ii) The height of the candidate should not be less than 165 c.m. Whenever belonging to the scheduled tribes, the height should not be less than 158 c.m.

(iii) Measure of chest:- Not less than 81.50c.m.(without expansion ....), 86.50 c.m.(after expansion).

Explanation:- If any candidates measure of chest is exceed of the said limit without expansion, minimum 5 c.m. expansion should be compulsory.

(iv) Sharpness of sight not less than from one eye 6/9and from second eye 6/12.

(v) His eye have ability to differ in the main colours,

(vi) Non of the both eyes must be tilfed or might blinded,

Candidate has a good night view.

(Five) Physical fitness test:- For the post the candidate should be qualified in such physical fitness test as determined by the .ppointing Authority . Fitness test should be held before written examination of the selection procedure and this shall be qualifying.

3. Selection:- Selection for appointment shall on the basis of ,-
(One) Marks obtained in written examination to be takes under this plan, and
(Two) Valuation of correction roll of past five year's of respecting employee.

4. examination:- (One) One written examination shall be held an every year or such interval on such date and such place as determined by the appointing authority.

(Two) In written examination shall be two question paper ,every so marks and period of 2.1/2 hour's . In the question paper the person shall be deem passed who obtain minimum [illegible]% on excess of this in that question paper. There compulsory to pass in every question paper separately (Relaxation should be given to person belonging to reserve category.

(Three) Question paper shall be prepare by Appointing Authority and the following subject shall therein:-

Question paper - First General knowledge, general Hindi and Mathematics.

Question paper — Second Official Rule and Regulation, Act and Rule of Transport Department etc.
(Four) Curriculum shall be some which is specified in Provision One in curriculum subject, where mentioned official rule means shall up to date rule. If the rules repealed and new rules shall be apply, the new rules shall be deemed to included.

(Five) Only these employees who fulfilled the stated qualifications shall be eligible to appear in examination. The application shall be invited from the employees, interested to appear in examination before at least one month of appointed date of examination by appointing authority and these candidate of them who found to eligible for appear in examination shall be intimated by date ,time and place of examination. The Chief Surgeon of the district where the employee working; the certificate relating to physical fitness and height measure of hand , chest, shall be certainty prove for their eligibility under Para 2 (four).

Uncleared information shall be make ineligibility to employee and shall not allow to appear in examination.

Provided that re-medical test and examination of physical measurement shall be made by competent medical beyond of the selected employee before appointment. The employee found unfit on this stage shall not be appoint.

(Six) Evolution of answer papers shall be made by working officer to the Transport Department, nominated by the appointing authority.

(Seven) The list of such employees who obtain minimum passing marks or excess marks from this as Para 4 in each of both the question paper shall be prepared separately.

5. (i) The employees which name is come in the list prepared as Para 4 (seven) , evaluation of past 5 year's confidential character rule shall be made by Departmental Promotion Committee an accordance of column 3 of schedule iv for the recruitment on the post of Transport Sub-Inspector.

(ii)To every such employee, out of 20 marks for the character roll of the every year, the marks shall be added or reduced on following basis, namely :-

Character roll criteria		Marks to be given	Remark
Excellent/Very Good	(A)	20	-
Good	(B)	15 [illegible]	-
Ordinary	(C)	.10	
Disgraceful/Interior	(D)	(-) 20	means 20 shall be reduced

(iii)Total marks to given out of 100 on the basis of character roll to employee, shall be put up before the means marks by his and shall be aggregated obtained marks.

(iv)Final selection list shall be prepared in order of seniority in accordance of total obtained marks in examination and evaluation of character roll, against the post of ministerial service

quota, appointment of the Transport Sub-Inspector shall follow the order in which the names appear.

(v) Mutual seniority of the ministerial employees appointed as Transport Sub- Inspector under the scheme shall be based on the order of final selection list appeared under Para 5 (four). -,-

6. Implementation of the scheme, appointment in service etc. shall be made by duly performing of rule 13 of recruitment rules.

ANNEXURE -1
Curriculum of Questiion Paper

// Part - A General Knowledge 15 marks //
Prevailing events, History of India & Chhattisgarh , Geography of Chhattisgarh , General Knowledge , Constitution of India , Public Administration, Intellectual and Argumentative Qualification.

//Part - B General Hindi 15 marks//
Official letter and Demi-official letter writing, circular , show cause notice, Draft writing official notesheet, etc. , Essay writing in maximum 150 words on any subject from subject given , Summary writing of passage , Question Answer on Unseen Passage, Grammar based question (with proverb, phraseology etc.)

//Part - C Mathematics 15 marks//
General Mathematics which question shall based on calculation of tax based on Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam and Niyam, Assessment of settlement fees etc.

Question Paper IT (maximum marks 50)

// Part - A Government Rule and Regulation 20 marks //
Preliminary Knowledge of Departmental Recruitment Rule, General Provident Fund , Rules relating to Fixation of Pay Chhattisgarh Civil Service (General conditions of service) Rule , 1969 , Chhattisgarh (Temporary and Semi Permanent Service) Rule, 1960, civil service conduct rules ,1965 , Chhattisgarh Civil Service (Classification, control and appeal) Rule , 1966 and Chhattisgarh Civil Service Promotion Rule , 2003.

//Part - B Act and Rule of Transport Department etc. 30 marks //
(i) Motor Vehicle Act, 1988.
(ii)Central Motor Vehicle Rules, 1989.
(iii) Chhattisgarh Motor Vehicle Rules , 1994.
(iv) Chhattisgarh Motor Vehicle Taxation Act, 1991 and Rules made there under, and;
(v) Other related Notification and Scheme .
(vi) Knowledge of Various Technical terms to be used in Department,
(vii) Constitution and Construction of Transport Department.

Note:- In every question paper objective, short answered, long answered all kinds of question shall be set in proper strength, number of objective questions shall not exceed of 25% marks question paper of General Knowledge may be set completely objective type only.

SCHEDULE-VI
(see rule 15.04)

Name of the Department :- Transport Department, Government of Chhattisgarh.

Name of the Service :- Chhattisgarh Transport Department, Class III Non- Gazetted. Executive Service.

Guideline of promotion examination the Departmental Transport Constable /Head Constable

(i)One written examination shall be every year or on such intervals such date and such place as Appointing Authority appoint.

(ii)Written examination shall have two paper, every shall 50 marks and period of 2.1/2 hours , In every question paper these person shall deem passed who has obtained 60% or above marks in that paper . It is compulsory to be passed separately in every paper (person belonging to reserve category shall be relaxed in accordance of rules.) (iii)Question paper shall have presented by Appointing Authority and following subject shall be therein, namely:-

Question paper - First

General knowledge, general Hindi and Mathematics.

Question paper — Second

Departmental work knowledge, Acts and Rule of Transport Department etc.

(iv)Curriculum shall be some which is specified in Annexure. In curriculum / subject, wherever mentioned official rules, it means up-to-date rules . If mentioned rules are repealed and new rules shall be apply, in place of it, new rules shall be deem included in curriculum.

ANNEXURE -I
Curriculum of Question Paper

// Part - A General Knowledge 15 marks //

Prevailing events, History of India & Chhattisgarh , Geography of Chhattisgarh , General Knowledge , Constitution of India , Public Administration, Intellectual and Argumentative Qualification.

//Part - B General Hindi 15 marks//

Official letter and Demi-official letter writing, circular , show cause notice, Draft writing official notesheet, etc. , Essay writing in maximum 150 words on any subject from subject given , Summary writing of passage , Question Answer on Unseen Passage, Grammar based question (with proverb, phraseology etc.)

//Part - C Mathematics 15 marks//

General Mathematics which question shall based on calculation of tax based on Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam and Niyam, Assessment of settlement fees etc.

<u>Question Paper II (maximum marks 50)</u>

// Part - A Government Rule and Regulation 20 marks //

Preliminary Knowledge of Departmental Recruitment Rule, General Provident Fund , Rules relating to Fixation of Pay Chhattisgarh Civil Service (General conditions of service) Rule , 1969 , Chhattisgarh (Temporary and Semi Permanent Service) Rule, 1960, civil service conduct rules ,1965 , Chhattisgarh Civil Service (Classification, control and appeal) Rule , 1966 and Chhattisgarh Civil Service Promotion Rule , 2003.

//Part - B Act and Rule of Transport Department etc. 30 marks //

(i) Motor Vehicle Act, 1988. (ii)Central Motor Vehicle Rules , 1989.

(iii) Chhattisgarh Motor Vehicle Rules , 1994.

(iv) Chhattisgarh Motor Vehicle Taxation Act ,1991 and Rules made there under, and (v) Other related Notification and Scheme.

(vi) Knowledge of Various Technical terms to be used in Department,

(vii) Constitution and Construction of Transport Department.

Note:- In every question paper objective, short answered, long answered all kinds of question shall be set in proper strength , number of objective questions shall not exceed of 25% marks question paper of General Knowledge may be set completely objective type only.

SCHEDULE -VII

Qualification for Deputation
(see rule 7.17 and 20)

Name of the Department :- Transport Department, Government of Chhattisgarh.

Name of the Service :- Chhattisgarh Transport Department, Class III Non- Gazetted. Executive Service.

No.	Name of post included in service	Service in parental cadre minimum actual working period	Compulsory minimum age limit for deputation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transport Inspector	03	40 Year
2	Transport Sub-Inspector	05	35 year
3	Transport Assistant Sub-Inspector	05	35 Year
4	Head Constable	05	30 Year
5	Constable	05	30 Year

SCHEDULE -VIII

Bonus Marks for Recruitment on the Post of Transport Constable
(see rule 11.08)

Name of the Department :- Transport Department, Government of Chhattisgarh.

Name of the Service :- Chhattisgarh Transport Department, Class III Non- Gazetted. Executive Service.

Sr. No.	Criterion	Marks	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Hindi Tying Examination passed from recognized Institute/ Board	05	4
2.	English Tying Examination passed from recognized Institute/ Board	05	—
3.	Certificate / Diploma holder of minimum one years in Computer Application from the Institute recognized by Central/State Government.	10	marks shall be given as per column 3 also mere or higher qualified from mentioned period.
4.	Take part in team or individual competition to representing any time in past three year as a member in Nation/ State level or university level sports competition or has represented to State.	05	—
5.	N.C.C. Certificate holder.	05	—
6.	After completing minimum One year's service on the post of soldier in Home Guard Service to Government of Chhattisgarh.	01 every year (05 maximum)	1. Marks shall be given for complete service of 1 year which maximum limit shall be 05 marks.

SCHEDULE -IX

Verification Performa from which character Verification shall have made.
(see rule 9. 02)

Name of the Department :- Transport Department
Government of Chhattisgarh

Name of the Service .- Chhattisgarh Transport Department, Class 111 Non-Gazetted Executive Service.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक 35/व्हीआईपी/परि/08.—राज्य शासन एतद्द्वारा नादेड़ (महाराष्ट्र) में खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविन्द सिंह के 300वीं वर्षगांठ पर सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने बाबत छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 के तहत दिनांक 16-10-2008 से 31-10-2008 तक के लिए 03 यात्री वाहनों/माल वाहनों को देय कर से छूट प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2317/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) स (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	कोटेरा	7.28	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना, संभाग दुर्ग.	खरखरा नहर नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक 33/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	भलपहरी	0.821	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	भलपहरी जलाशय योजना के नहर एवं उलट निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भूमि अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कन्हैयाभाठा	7.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कोरबा.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा	20×20 मीटर निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, (सिं) निर्माण संभाग क्रमांक-02, 2×250 मे. वा. टी. पी. पी., छ. रा. वि. मं., कोरबा पूर्व.	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक/9631/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कंटगीखुर्द, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
204	0.04
207/3	0.05
353	0.05
351/1	0.11
352	0.13
354/2	0.12
378/2	0.06
381	0.03
205	0.29
208	0.03
222	0.11
351/6	0.10
377/8	0.04
377/7	0.04
379/3	0.08
207/1	0.02
209	0.06
349	0.08
351/11	0.05
377/12	0.06
377/11	0.06
379/8	0.10
207/2	0.03
211	0.05
350	0.08
351/12	0.11
354/1	0.15
378/1	0.07
380/1	0.03
योग	2.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गंजीगंजा जलाशय अंतर्गत लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक/2213/03 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-मलकुंवर, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
289/1	0.07

	(1)	(2)
	289/3	0.08
	360	0.60
योग	3	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक/2214/06 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-अवारी, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	284	0.03
	342	0.06
योग	2	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक/2215/05 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-गुदुम, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	35/2	0.02
	782	0.13
योग	2	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक/2216/04 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-बालोद
 (ग) नगर/ग्राम-खैरवाही, प. ह. नं. 30
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	297/12	0.06
	297/13	0.06
	381	0.30
	647/1	0.02
	647/2	0.05
	647/4	0.13
	676	0.08
	678	0.07
	374/3	0.20
योग	9	0.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक/2217/07 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-बालोद
 (ग) नगर/ग्राम-डौण्डी, प. ह. नं. 32
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	92/7	0.10
	92/8	0.07
	927/3	0.02
	984/2	0.02
	1362	0.01
	50	0.20
योग	06	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2227/01 अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
 (ग) नगर/ग्राम-सिरपुर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124/1	0.07
138	0.13
140	0.11
130/1	0.07
139	0.14

	(1)	(2)
	141/1	0.01
योग	06	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 27 सितम्बर 2008

क्रमांक/5092/भू-अर्जन/क/अ- 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-दन्तेवाड़ा, प. ह. नं. 13 (अ)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	268/1 268/3	0.032
योग		0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शंखनी सेतु 1/4 कि. मी. हेतु पहुंचमार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्रमांक/7002/भू-अर्जन/05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-सुकमा
- (ग) नगर/ग्राम-अतकारीरास, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.710 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1255	0.090
1260	0.810
1316	0.053
1258	0.325
1308	0.070
1264	0.101
1271	0.142
1309	0.283

(1)	(2)
1279	0.175
1283	0.270
1282	0.141
1285	0.250
योग	2.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मलंगेर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंटा, मु. सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्रमांक/7004/भू-अर्जन/02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-सुकमा
(ग) नगर/ग्राम-रामपुरम्, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.345 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
244	0.070
245	0.300
241	0.015
250	0.340
247	0.410
248	0.320
267	0.120
265	0.080
266	0.180
282	0.650
295	0.340
317	0.470
321	0.050
योग	3.345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मलंगेर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंटा, मु. सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

क्रमांक/7007/भू-अर्जन/01/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-सुकमा
(ग) नगर/ग्राम-मुरतोण्डा, प. ह. नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
300/1	0.245
291/1	0.121
295	0.016
290/2	0.080
292/1	0.161
281	0.061
279	0.121

(1)	(2)
276	0.182
349/3	0.161
342	0.510
349/1	0.142
1274	0.040
1303	0.061
1306	0.205
1443	0.182
297/1	0.245
297/2	0.442
291/3	0.161
297/3	0.182
291/2	0.205
282	0.080
269	0.040
275/3	0.245
351/3	0.205
351/2	0.525
351/1	0.080
1302/1	0.442
1304	0.101
1432	0.040
1469	0.405
1437	0.223
1438	0.284
1450/1	0.061
1694/1	0.040
1515	0.142
1687	0.080
1482	0.040
1502	0.205
1514	0.033
1457	0.121
1449	0.223
1693	0.061
1436	0.242
1470	0.625
1456	0.182
1483	0.525
1503	0.101
1450/2	0.405
योग	9.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मलंगेर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंटा, मु. सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

क्रमांक/7008/भू-अर्जन/03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-सुकमा
- (ग) नगर/ग्राम-जीरमपाल, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.027 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
637/1	0.190
759	0.038
741	0.055
765	0.100
677/1	0.035
853/5	0.140
695/1	0.020
912	0.250
944	0.020
676/1	0.020

(1)	(2)
853/11	0.300
853/16	0.200
853	0.200
769	0.035
702/1	0.050
692/1	0.020
696/1	0.060
694/1	0.060
853/3	0.100
853/21	0.075
943/3	0.240
931	0.350
941	0.395
934	0.320
984	0.110
942	0.100
1053/3	0.110
986/1	0.450
1035/1	0.095
986/3	0.150
986/6	0.270
1037	0.230
986/4	0.100
992	0.280
991/1	0.080
995	0.500
998	0.240
1034	0.165
1038	0.140
1043	0.215
1046	0.035
1056	0.010
698/1	0.120
699	0.005
703	0.020
711/1	0.120
712/1	0.050
945	0.090
742/1	0.030
686/1	0.140
667	0.265
927	0.200
675	0.200
933	0.250
1032	0.085
1033	0.150
1066/2	0.070
1068/1	0.100
1091	0.680
1092	0.450
1100/3	0.300
1103	0.350
1197	0.790
1035/2	0.020
1035/3	0.100
1036	0.235
1098/2	0.030
1044/1	0.200
1045	0.035
1063	0.200
1070	0.100
1193	0.165
1064	0.065
1065	0.200
1069	0.035
1101	0.120
1089	0.310
1105/2	0.070
1068/2	0.214
1241	0.050
1201/2	0.030
1102	0.290
1104	0.200
710/1	0.190
योग	14.027

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मलंगेर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंटा, मु. सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क). जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-रंजना, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	589/1	0.202
	651/2	0.028
योग	2	0.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोकानाला जलाशय योजना के नहर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-कसरेंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	297/1 ट	0.405
योग	1	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घनाकछार जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-रंजना, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
658	0.040

	(1)	(2)
	718	0.081
योग	2	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोकानाला जलाशय योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

"छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970
(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित"

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय)

रजिस्ट्रार कार्यालय—शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

रायपुर संभाग से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम वापसी की सूचना का प्रकाशन

क्रमांक-01/निर्वाचन/रापप्र/1365-67.—जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उप नियम (3) के तहत निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड को राजस्व आयुक्त संभाग, रायपुर से नामनिर्दिष्ट एक उम्मीदवार का अपने पारिवारिक कारणों से नाम वापसी की सूचना प्राप्त हुई है.

अत: छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उप नियम (4) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, एतद् निदेश देता है कि राजस्व आयुक्त संभाग, रायपुर से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार डॉ. कौशलेश कुमार पैकरा, ग्राम/पोस्ट-तिल्दा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर ने अपने पारिवारिक कारणों से उम्मीदवारी वापिस लिया है जिसका प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ छत्तीसगढ़ के राजपत्र में होगा.

टिप्पणी :— छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उपनियम (2) के तहत मतपत्र में उम्मीदवारी वापिस लेने वाले का नाम प्रविष्ट नहीं होगा.

रक्षपाल गुप्ता,
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार.